>

Title: Further discussion on the resolution on Identification of Families living below poverty line and Welfare measures for them moved by Shri Raghuvansh Prasad Singh on 21.04.2010 (not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 18, Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मशताब्दी मनायी जा रही है। उस समय के विलंगटन और अभी के लोहिया अस्पताल में 30 सितम्बर से 12 अक्तूबर, 1967 को बैड पर कलेजा पीटते हुए कहा- डॉक्टर ऐसा आदमी खोजो जो करोड़ों की बात कहे, एक आदमी के लिए 12 डॉक्टर और हजारों के लिए डॉक्टर नहीं और ऐसा व्यक्ति खोजो, जो हजारों-करोड़ों की बात बोले, गरीबों की बात उठाए। यह प्रलाप डॉ. राम मनोहर लोहिया अपने अंतिम समय में अस्पताल में कर रहे थे। महोदय, इस महान सदन में श्री महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉ. राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह वर्ष 2015 तक, टाइमबाउण्ड टारगेट, देश से गरीबी के उन्मूलन के लिए समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित कदम उठाए। एक, सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुम्बों की पहचान करना। दो, ऐस प्रत्येक कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य को व्यावसायिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् लाभदायक रोजगार देना। तीन, ऐसे प्रत्येक कुटुम्ब जिन्हें लाभदायक रोजगार नहीं दिया गया है, को तीन हजार रूपये प्रतिमाह से अन्यून दर पर कुटुम्ब पेंशन देना और, चार, ऐसे कुटुम्बों के सभी बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नःशुल्क गुणवत्तप्रद शिक्षा देना।

15.34 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

सभापति महोदय, गरीबी के विषय में और गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, मैं इसे बताना चाहता हूं। दक्षिण के कवि श्री तिरूवल्लूवर ने निरकुरल में उन्होंने दरिद्रता का उल्लेख किया है। नल हरबू, दरिद्रता, उस पर उन्होंने आज से दो हजार वर्ष पहले कहा था। "इन मईन इन नादू यादेनिन, इन माईन इन मइए। " हिन्दी में इसका तात्पर्य है- यदि पूछो दरिद्र सम दुखद कौन महान, तो दुखद दरिद्र सम दरिद्रता ही जान। दरिद्रता से बढ़कर कोई तकलीफ दुनिया में नहीं है, यह संत का कहना है। दूसरे में कहते हैं- इनमेय अयन औरू पावी मरू मयूम इममयूम इंडी वरू। हिंदी में इसका तात्पर्य है- निर्धनता की पापनी यदि रहती है साथ, लोक तथा परलोक से धोना होगा हाथ। जिस परिवार में निर्धनता है, उसका लोक-परलोक सब खत्म हो गया। मतलब इतना और इसी तरह से है। आज से दो हजार वर्ष पहले उन्होंने आगे भी इसी तरह से दस दोहों में गरीबी के संबंध में वर्णन किया है कि गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है। जो परिवार गरीब है, उसकी क्या हालत है, उसका निवारण कैसे होगा? आज से दो हजार वर्ष पहले एक कवि का कहना है, भक्त कवि विद्यापति हुए थे। उनकी यह पंक्तियां हैं - कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुख ही जनम वेल, दुख ही जियाउल सुख सपनोहु नहीं भेल हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। वे शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कवि की वाणी में यह पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि दुख और विपती से कितने लोग तबाह हैं, कहते हैं कि जन्म से लेकर अंत तक दुख ही दुख है, सुख सपनो नहीं भेल, यह कवि विद्यापति ने कहा।

सभापति महोदय, रामचरित मानस में तुलसी दास जी ने कहा - नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़ कर के कोई तकलीफ नहीं है, रामचरित मानस में कहा गया है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि स्वानो को मिलता दूध-भात, भूखे बच्चे इठलाते हैं, हटो व्योम से मेघ पंथ, हम स्वर्ग लूटने आते हैं। मतलब, गैर विषमता और गैर बराबरी पर राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है। कविवर गोपाल सिंह नेपाली, जिनका शताब्दी समारोह कलाकार, साहित्यकार और जानकार लोग देश में मनाएंगे या मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिन गए, वर्ष गए, यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। कवि की वाणी में कहा गया है कि दिन गए, वर्ष गए, हजारों-लाखों साल बीत गए, हम दावा करते हैं, लाखों वर्ष की हमारी संस्कृति है। देश में आर्य, अनार्य और द्रविड़ आदि संस्कृति का विकास हुआ। वेद, पुराण एवं ग्रंथ आदि सभी के बाद भी रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं। श्याम की बंसी बजी, मुरली वाले आए, भगवान कृष्ण आए, धनुषधारी राम आए, बुद्ध ज्ञानी आए, बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, लेकिन निर्धनता गई नहीं। गरीबी बनी हुई है और गरीबी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गरीबी बनी हुई है, गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी का वर्णन कवियों के कहने के मुताबिक हमने स्पष्ट किया, पुराने कवि, जो जनवाणी, लोगों की पीढ़ा और व्यथा को अपनी कविता में कहते हैं, उनकी कविता में कहा गया है। इसलिए हम लोगों को इस महान सदन में विचार करना है। इसलिए कहा गया है कि टाइम बाउंड

टारगेट, सन् 2015 तक यह संकल्प हो, गरीबी हटाने की बात मैं कोई नयी नहीं उठा रहा हूं। सन् 1973-74 में गरीब कौन है, गरीबी रेखा के नीचे कौन है, यह सवाल उठाया गया था। एक नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन है, उन्होंने कुछ आकलन किया। अर्थशास्त्री लोगों ने आकलन किया कि इस तरह के लोगों को भी गरीबी रेखा से नीचे कहा जाए। फिर इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, उसमें भी विश्लेषण हुआ, कुछ सूचियां बनीं कि गरीब कौन है। उसके बाद आठवीं योजना में सन् 1992 से लेकर सन् 1997 तक प्रति परिवार की कितनी आमदनी होगी, उसके हिसाब से आकलन किया गया। सन् 1997 से सन् 2002, नौवीं योजना में एक लकड़ावाला कमेटी बैठी थी, कितना कंजम्शन है, कितनी कैलरी होगी, उस आधार पर कुछ आकलन हुआ। उसके बाद दसवीं योजना में 13 प्वाइंट्स पैरामीटर्स सोश्यो इकोनोमिक स्टेटस उस परिवार का क्या है, उसका सर्वे सन् 2002 में हुआ।

सभापति महोदय, उसके हिसाब से 13 पैरामीटर्स में जिसके सबसे कम अंक आएंगे, वह गरीब माना जाएगा, यह तय हुआ था। आठवीं, नौवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं मे अलग-अलग मापदंड अपनाए गए। यह भी तय हुआ था कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, यानी 11वीं योजना के प्रारम्भ में यह तय किया जाएगा कि गरीबी की रेखा से नीचे कौन-कौन हैं। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि किसी भी राज्य में बी.पी.एल. की कोई सूची ठीक नहीं है। गांव में जाइए तो एक तरफ से एक परिवार आएगा कहेगा कि हमारा नाम तो बी.पी.एल. सूची में नहीं है। दूसरी तरफ से एक गरीब आदमी आएगा, वह कहेगा कि हमारा नाम न बी.पी.एल. सूची में है और न ए.पी.एल. सूची में है। तीसरे तरफ से अत्यन्त गरीब परिवार का भूमिहीन आदमी आएगा, वह कहेगा कि हमारे तो 15 नंबर लिख दिए हैं, कोई कहेगा कि हमारे तो 13 नंबर लिख दिए हैं। बी.पी.एल. का ए.पी.एल. में और ए.पी.एल. का बी.पीएल. में लिख दिया गया है और वास्तव में देखा जाए, तो न कहीं बी.पी.एल. है और न ए.पी.एल. है। इसमें इतने बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी है, जिसका वर्तमान में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।

हमारे माननीय सांसद अपने इलाकों में जाते होंगे, उनके सामने भी ये सभी समस्याएं आती होंगी। हम जाते हैं, हमें गरीब आदमी मिलता है, वह कहता है कि हमारा इंदिरा आवास योजना में नाम ही नहीं है। हम कहते हैं कि मुखिया जी या सरपंच साहब, इनका इंदिरा आवास योजना में नाम क्यों नहीं डाला या बी.पी.एल. में क्यों नाम नहीं लिखा? वह कहता है कि कंप्यूटर ने काट दिया। इस प्रकार की हेरा-फेरी हो रही है। इस प्रकार की पीड़ा गांवों के लोगों की है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। बी.पी.एल. सूची दुरुस्त नहीं है। इसीलिए संकल्प के खंड-एक में कहा गया है कि गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले बी.पी.एल. परिवारों की सूची दुरुस्त होनी चाहिए, तभी टाइम-बाउंड यानी काल-बद्ध योजना होगी कि इन सब परिवारों की किस प्रकार से सहायता की जाए या किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिससे से गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

महोदय, मैं देख रहा हूं कि देश में नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन अपने सर्वे के 61वें और 62वें राउंड कर रहा है। वह सर्वे करता ही रहता है और बताता रहता है और दूसरा प्लानिंग कमीशन है। अभिजीत सेनगुप्ता की एक कमेटी बैठी। उस कमेटी का कहना है कि देश के 77 प्रतिशत लोगों को प्रति दिन 20 रुपए से कम खर्च कर के ही अपना गुजारा करना पड़ता है। इसका मतलब है कि देश के 77 फीसदी लोगों की जिंदगी 20 रुपए या इससे कम प्रति दिन खर्च करने पर ही चल रही है। अभिजीत सेनगुप्ता अर्थशास्त्री हैं और सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी है। वह कोई हमारी कमेटी नहीं है। वह सांसदों की कमेटी नहीं है। फिर सुरेश तेन्दुलकर हैं, जो प्रधान मंत्री के अर्थ सलाहकार हैं। उनका कहना है कि देश के 37 फीसदी परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उसके बाद, एक सक्सेना कमेटी है। उसने कहा कि 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। इस प्रकार एक कहते हैं 77 फीसदी, दूसरे कहते हैं 50 फीसदी और तीसरे कहते हैं 37 फीसदी। इससे क्या समझा जाए? यह पहले से ही तय है कि पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही बी.पी.एल. परिवारों का सर्वेक्षण हो जाएगा कि कौन-कौन से परिवार बी.पी.एल. की सूची में आते हैं।

महोदय, जिस सरकार के समय में बी.पी.एल. के परिवारों की सूची तैयार नहीं हो सकी और दुरुस्त नहीं हो सकी, उस सरकार से गरीबी हटाने की क्या, गरीबी घटाने की भी हम आशा कर सकते हैं? यह सवाल में सदन में उठा रहा हूं। जो केन्द्र सरकार, जो राज्य सरकारें बी.पी.एल. की सूची दुरुस्त नहीं कर सकीं, वे सरकारें देश से गरीबी कैसे हटाएंगी? वह सरकार गरीबी हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, वह गरीबी को हिला भी नहीं सकती, घटा भी नहीं सकती और रोक भी नहीं सकती। मेरा कहना है कि गरीबी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि मेरे इस निष्कर्ष को कोई काट नहीं पाएगा। बी.पी.एल. की सूची आप तैयार नहीं करा पाए, जबकि चार-पांच कमीशन आपने बैठा दिए। योजना आयोग कुछ बोल रहा है, सुरेश तेन्दुलकर कमेटी कुछ बोल रही है, सक्सेना कमेटी कुछ बोल रही है, नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन कुछ और ही बोल रहा है। ये सब आपके बनाए हुए हैं, यानी केन्द्र सरकार के बनाए हुए हैं। ये संसदीय समितियां, कमेटिया या कमीशन नहीं हैं। वे सब रंग-बिरंगी बात बोल रहे हैं। गांवों में लोग घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद से हमें कुछ न्याय मिले, हमारा कुछ उपाय हो, हमारा बी.पी.एल. सूची में नाम डाला जाए, क्या उपाय होगा, क्या करना पड़ेगा? इसीलिए संकल्प के खंड-एक में कहा गया है कि बी.पी.एल. की सूची को दुरुस्त करने का काम होना चाहिए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बी.पी.एल. की सूची को दुरुस्त करने का काम अभी तक क्यों नहीं किया गया? हम सरकार पर ऐसा करने के लिए आपराधिक लापरवाई का इल्जाम लगाते हैं। इसे कोई काटे?

क्यों नहीं सूची तैयार हुई और क्यों आप विभिन्न कमीशनों को बैठाकर अंधकार में सदन को और देश के लोगों को रख रहे हैं और गरीबों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इसमें राष्ट्रकवि दिनकर की एक पंक्ति है:

'हो गया एक नेता मैं भी, तो बन्धु सुनो,

मैं भारत की रेशम नगरी में रहता हूं, (रेशम नगरी दिल्ली को कहते हैं।)

जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है,

मैं चांदनी का बोझ किस विधि सहता हूं।'

महोदय, हम लोगों पर कितना भारी कटाक्ष और इल्जाम है कि जनता चट्टान से दबी हुई है और हम लोग ए.सी. में बैठे हैं। कविवर गोपाल सिंह नेपाली ने क्या कहा:

जब चन्द्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है,

चांदनी झोंपड़ी से लिपट, भर रात सिसकती रहती है।

यह विषमता का और गरीबी का इतना बड़ा चित्रण कवियों ने किया है। फिर अन्त में राष्ट्रकवि दिनकर ने क्या कहा:

होश करो, दिल्ली के देवो, होश करो,

सब दिन तो यह मोहिनी न चलने वाली है,

होती जाती है, गर्म दिशाओं की सांसें,

मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है।

इस सदन में इस देश की जो सरकार बी.पी.एल. सूची तैयार नहीं कर सकती, सरकार बताये कि बी.पी.एल. सूची के तैयार करने में क्या हुआ है? क्यों नहीं हुई, क्यों विलम्ब हुआ? 11वीं योजना का 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, यह चौथा साल चल रहा है और बी.पी.एल. की सूची दुरुस्त नहीं हो सकी, तैयार नहीं हो सकी। विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। कहां पर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, ज्ञानी-विज्ञानी और मैनेजमेंट-प्रबन्धक लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं तीव्र रोष प्रकट करता हूं कि क्यों नहीं अभी तक बी.पी.एल. की सूची तैयार हुई। माननीय सदस्य अपनी पीड़ा से ग्रसित होंगे, अपने इलाके में जब विभिन्न गरीब परिवार आकर कहते होंगे कि हम निर्धन हैं, भूमिहीन हैं, लेकिन बी.पी.एल. में हमारा नाम नहीं है, हमें इन्दिरा आवास नहीं मिलेगा और बूढ़ा-बूढ़ी पैंशन नहीं मिलेगी, विधवा पैंशन नहीं मिलेगी, राजीव गांधी योजना में मुफ्त में विद्युत कनैक्शन नहीं मिलेगा, उसको अनाज नहीं मिलेगा, जो लाल कार्ड, पीला कार्ड पर पी.डी.एस. है, ईलाज बी.पी.एल. पर है, ये सारी योजनाएं बी.पी.एल. पर आधारित हैं, इसलिए एक त्रुटि के चलते, एक कसूर, एक कुव्यवस्था और एक ढिलाई के चलते जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और गरीबों के हित के लिए कार्यक्रम हैं, बिना बी.पी.एल. सूची के आधार पर नहीं हो सकते। इसलिए गरीबों के खिलाफ कितना भारी खतरनाक काम हो रहा है और हुआ है, कोई वर्णन करे, कोई कहे कि हम फालतू जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं-नहीं, महोदय, गरीब आदमी वहां ताक रहा है कि हमारे लिए उस महान सदन में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा नाम बी.पी.एल. में नहीं है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ लोग वहां बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार से कैटेगोरिकली मैं पूछता हूं कि कितने दिनों में बी.पी.एल. सूची तैयार करोगे और अभी तक क्यों तैयार नहीं हुई, यह सवाल हम उठाना चाहते हैं?

सवाल नम्बर दो-अब गरीबी हटाने का उपाय क्या है, गरीबी मन्तर से हटाई जा सकती है? हम लोगों के यहां दिवाली के दिन सांझ से लोग कहते हैं, उरम् ब्रह्म लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे, नारा लगाते हैं, लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे, लक्ष्मी अन्दर, दरिद्र बाहर और सुबह में, भोर में संटी लेकर सूप-डगरा पीटकर महिलाएं, मां-बहनें, दादी-बूढ़ी, आंगन-बाड़ी, कोन्हा-सानी, बाड़ी-झाड़ी सब में घूम-घूमकर लक्ष्मी अन्दर, दरिद्र बाहर, यह कहती हैं। हजारों वर्षों से यह हो रहा है, विभिन्न इलाकों में विभिन्न ढंग से लोग लक्ष्मी को बुलाने का, गरीबी भगाने का, दरिद्र हटाने का मन्तर पढ़ रहे हैं। नहीं-नहीं, महोदय, मन्तर से, नारा लगाने से और बयान से, बोली से गरीबी नहीं हट सकती, न घट सकती, न विषमता मिट सकती, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यह भी मैं बताता हूं। डा. लोहिया कहते थे, निर्गुण नहीं सगुण, सगुण करो। निर्गुण और छायावाद से देश का भला होने वाला नहीं है। सगुण से भला होने वाला है। सगुण में यह है कि गरीबी क्यों है, इसलिए कि बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी हट जाए तो गरीबी भाग जाएगी। उदाहरण के तौर पर कोई एक गरीब है, अगर उसके घर में किसी एक लड़के को नौकरी मिल जाए, तो उसके घर से गरीबी हट जाती है। संपन्नता का कोई अंत नहीं है, आगे वह अपनी तरक्की करता रहेगा। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई जो पांच मूलभूत आवश्यकतायें हैं, जिस परिवार के लिए इन पांचों चीजों की व्यवस्था है, वह परिवार बीपीएल से ऊपर है। जिनको पांच में पाचों नहीं हैं, वह अति दरिद्र है, तीन नहीं है तो अति दरिद्र है, कोई एक है चार है, कोई दो है तीन नहीं, कोई तीन है दो नहीं, कोई चार है एक नहीं, इस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई के हिसाब से उनका आकलन हम कर सकते हैं। यदि गरीब के यहां परिवार के किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए या मैं यह कहूं कि कम से कम तीन हजार रूपए, ज्यादा नहीं, टाटा या बिड़ला उसको हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम तीन हजार रूपए महीने उसको मिल जाएं और अतिरिक्त उपाय के तौर पर एडीशनल इन्कम हो जाए, तो उसकी गरीबी हट जाएगी। कोई भी आकलन देश में किया जाए, हमारे यहां पांच-छः करोड़ लोग या परिवार से अधिक बीपीएल नहीं होंगे, जिनको हमें रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था देनी है। क्यों नहीं इस देश के सभी लोग मिलकर यह संकल्प करते हैं कि एक करोड़ नहीं तो पचास-साठ लाख ही सही, प्रतिवर्ष इतने लोगों को हम बीपीएल से एपीएल बनायेंगे? यह 6-7 वर्षों से ज्यादा की योजना नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम एक प्रतिशत गरीबी हर साल हटा देंगे।

जैसे कि गरीबी को पचास वर्षों तक रखना है। अब हम इतने दिन धैर्य रखने को तैयार नहीं हैं।

महोदय, आप देख रहे हैं कि उग्रवाद से ज्यादा जिले प्रभावित हो रहे हैं, मारकाट से, हिंसा से, आतंकवाद से प्रभावित हो रहे हैं। इन सब की जड़ में मूलतः ज्यादातर बेरोजगारी की समस्या है। जम्मू-कश्मीर के एक लड़के को जब तीन हजार रूपए महीने पर नियुक्ति पत्र दिया था, वह लड़का भाषण कर रहा था कि मेरे पास कोई उपाय नहीं था, जीने का जरिया नहीं था, बहन की शादी भी नहीं हुयी है, आतंकवाद में नाम लिखाने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। केवल तीन हजार रूपए के महीने पर हमारी नौकरी हो गयी है, हम उसी से अपनी जिंदगी नैय्या खेवेंगे, परिवार का भी भरण-पोषण कर लेंगे और जी लेंगे और इस तरह आतंकवाद से हम बच जाएंगे। उस लड़के का बयान हमें बराबर याद आ रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, वामपंथ उग्रवाद सभी के जड़ में प्रमुखता से बेरोजगारी है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है। आप बेरोजगारी हटाइए, तब गरीबी हटेगी और तब समस्या का समाधान होगा। अगर गरीबी नहीं हटा सकते हैं, हर परिवार में एक को काम नहीं दिया जा सकता, तो यह बताइए कि दिल्ली में मेट्रो के लिए तीस हजार करोड़ रूपए कहां से आ गए? कामन वेल्थ गेम्स में लूट हो रही है। कई हजार करोड़ उसमें खर्च हो गए। इसके बारे में बताया जाए। यह बेईमानी गरीबों के साथ अन्याय है या नहीं कि उसकी सूची तैयार नहीं हुयी। आप कहते हैं कि हमारी बहुत आर्थिक ग्रोथ रेट हो रही है, लेकिन यह एकाउंट ग्रोथ है। 8-9 पर्सेंट की ग्रोथ रेट सब असत्य है, यदि गरीबी और बेरोजगारी बनी हुयी है। एक जॉबलेस ग्रोथ असत्य है, गरीबों के साथ अन्याय है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं है?

महोदय, हमने खंड दो में कहा है कि पहले आप बीपीएल को आइडेंटिफाई करिए, फिर टाइम बाउंड तरीके से, एक साल में चालीस लाख, पचास लाख, सत्तर लाख जो भी कर सकें, देश और दुनिया भर में पता लगाइए कि कहां पर कैसे लोगों की जरूरत या मांग है? उस तरीके की तीन, चार या छः महीने की ट्रेनिंग बीपीएल परिवार के एक लड़का या लड़की को देकर उसका प्लेसमेंट करा दीजिए।

उन्हें कम से कम तीन हजार, चार हजार, पांच हजार रुपये महीने दीजिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो उसकी गरीबी हट जाएगी। इस कालबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से सब सोचें। सबसे पहले मन बनाएं, संकल्प करें और दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि गरीबी हटानी है। धोखा-धड़ी से नहीं, आधे मन से नहीं, बल्कि ईमानदारी के कार्य करने चाहिए। मैं इसमें बहुत ऊंचा दर्शन नहीं जानता और न ही कहने वाला हूं, यह साधारण है। कोई अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री, वैज्ञानिक, ज्ञानी, ध्यानी बताए कि इसमें कोई बढ़ा-चढ़ाकर बात है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दे दीजिए। देश, प्रदेश और विदेश में जैसी जरूरत है, उसी तरह की कम से कम तीन महीने की ट्रेनिंग दिलवाकर उसका टाइम बाउंड प्लेसमैंट करवाइए। इस पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसे कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें सवा दो लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा और देश से गरीबी हट जाएगी, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, हमने वर्ष 2015 तक दिया है। 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15, पांच वर्ष बचे हैं। यदि सरकार में संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति हो और गरीबों के प्रति न्याय करने का मन हो, तो सब कुछ हो सकता है।

न्याय करो तो आधा दो, उसमें भी कहीं बाधा हो,

दे दो केवल पांच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।

हम इसी में सुख से खाएंगे, आशीष सहित खुशी मनाएंगे।

मैं टाटा, बिरला और देश की हिस्सेदारी देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनके लिए तीन हजार रुपये की नौकरी देने के बारे में उपाय किया जाए।...(व्यवधान) नहीं तो फिर याचना नहीं जंग होगी, जीवन जाए या मरण होगा। मैं भारी संघर्ष और लड़ाई के बारे में पहले से बता रहा हूं। इस बारे में योजना बनाई जानी चाहिए। एक योजना बनाई गई है, बनाकर आए हैं। इस प्रकार वर्ष 2015 तक गरीबी हटेगी।

दूसरा, यदि आप इम्प्लॉयमैंट और प्लेसमैंट नहीं देते तो आप गरीब के शत्रु हैं। आप गरीबी हटाना नहीं चाहते, घटाना भी नहीं चाहते, गरीब की सहायता नहीं करते। यदि बैंकों और स्वयं सहायता समूह मूवमैंट के जरिए टाइम बाउंड स्व-रोजगार की व्यवस्था नहीं करते, तो मैं मानूंगा कि आप गरीब व्यक्ति के शत्रु नम्बर दो हैं। रोजगार गारंटी के तहत वेज इम्प्लॉयमैंट दिया गया। एक वेज इम्प्लॉयमैंट है और दूसरा सैल्फ इम्प्लॉयमैंट है। यदि वेज इम्प्लॉयमैंट दिया जाए तो सौ रुपये रोज के हिसाब से सौ दिन के दस हजार रुपये के लगभग हो गए। लेकिन उसे 36 हजार रुपये चाहिए। 26 हजार रुपये एडिशनल इनकम कैसे होगी। इसलिए तीन हजार रुपये महीना अतिरिक्त आमदनी का उपाय किया जाए। इसके लिए यदि उस घर के लड़के, लड़की, महिला किसी को भी सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैंट, बैंकों की सहायता से, मार्किटिंग व्यवस्था करके बड़े पैमाने पर इंतजाम नहीं किया जाता कि कोई परिवार बीपीएल से अलग नहीं रहेगा, सबके लिए

समयबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। उनके लिए इम्प्लॉयमैंट अथवा सैल्फ इम्प्लॉयमैंट होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम देश के साथ, गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

15.58 hrs.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

इसीलिए गरीबी, बेरोजगारी हटाने के फार्मूले के बारे में देश और दुनिया में पता लगाइए कि किस प्रकार की डिमांड है। उस तरह की तीन या छः महीने की ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट करवाया जाए या सैल्फ इम्प्लॉयमैंट, सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमैंट, प्रोडक्ट की मार्किटिंग की व्यवस्था आदि इंतजाम नहीं किये जाते तो माना जाएगा कि लोग गरीब व्यक्ति के दुश्मन हैं और गरीबी हटाना नहीं चाहते।

–

16.00 hrs.

यथा स्थितिवादी हैं और कहते हैं कि खर्च करो, नक्सली एरिया में खर्च करो। क्या अब खर्च होगा, गरीब व्यक्ति को मिलेगा? वहां लेवी वसूली हो रही है। रिपोर्ट आ रही है कि लेवी वसूली हो रही है। सब पैसे जायेंगे, तो नक्सली लोग मालामाल हो जायेंगे। इसलिए सैल्फ इम्प्लायमैंट, इम्प्लायमैंट देकर गरीबी हटाने, बेरोजगारी हटाने का काम होना चाहिए। यह दूसरा सुझाव है। जिस परिवार को नौकरी नहीं मिली, सैल्फ इम्प्लायमैंट नहीं मिला, उसे तीन हजार रुपये महीना पैंशन दीजिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि खजाने में गरीब का हिस्सा है या नहीं? लोगों को पंचम वेतन आयोग, छठम वेतन आयोग, डीए आदि सब मिलता है, लेकिन जिसकी मजदूरी से, मेहनत से देश का खजाना चलता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जो नौकरी करते हैं, उन्हें आप सब कुछ देते जाइए, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है, वह आपका गैस, पानी नहीं लेता और पत्ते से भोजन बनाता है, उसका देश मे हिस्सा है या नहीं? वह होम स्टेट लैंडलैस है। उसके पास घर बनाने के लिए एक धुर जमीन भी नहीं है। वह कैसे समझेगा कि हिन्दुस्तान हमारा भी है। जिसके पास रहने के लिए एक बित्ता जमीन भी नहीं है, वह क्यों मानेगा कि हिन्दुस्तान हमारा है? वह होम स्टेट लैंड लैस है। देश में 40 से 45 लाख परिवार ऐसे हैं जो होम स्टेट लैंड लैस हैं। उनके पास एक धुर जमीन नहीं है। उनको इंदिरा आवास भी नहीं मिलेगा। उनको कहा जायेगा कि आवास के लिए जमीन नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं देंगे। जो गरीब आदमी है, जिसे आप रोजगार नहीं दे सके, जिसे सैल्फ इम्प्लायमैंट नहीं दे सके, जिसकी कोई सहायता नहीं हो सकती, उस परिवार को आईडेंटिफाई करके तीन हजार रुपये महीना देना चाहिए। क्या इतना देने से खजाना खाली हो जायेगा? हम जानते हैं कि जो लोग बैठे हैं, इसी देश में दुनिया के अरबों-खरबों पति धन-पशुओं से आगे हो गए हैं, लेकिन गरीबों का क्या हाल है? इकोनामिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है? यह गरीबों के साथ छल है, अन्याय है, धोखा है। खजाने में उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए उसे ट्रेनिंग देकर रोजगार देना चाहिए या सैल्फ इम्प्लायमैंट देना चाहिए, नहीं तो पैंशन देनी चाहिए। इन तीनों में से कोई न कोई काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो माना जायेगा कि ये लोग गरीबी बढ़ाने वाले हैं, गरीबी हटाने और घटाने वाले नहीं हैं। ये गैर-बराबरी बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। इसलिए बेरोजगारी हटाने के बारे में यह सब कुछ होना चाहिए।

अंत में, मैं बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हम आधार बना देते हैं। ...(व्यवधान) मैंने तीन प्वाइंट का वर्णन कर दिया है, अब चौथा प्वाइंट शिक्षा के बारे में बताऊंगा। गरीब आदमी के परिवार के बच्चों के लिए ब्लाक में, पंचायत में जुटाकर पढ़ाने, होस्टल आदि बढ़िया शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। उन्हें अभी जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। श्री मैकाले ने ब्रिटेन की पार्लियामैंट में भाषण किया था कि हम इस तरह की शिक्षा नहीं देंगे जिससे वहां के लोग अंग्रेजी पढ़कर गुलामी और किरयानागिरी खोजता रहेगा। यह उनका वहां का भाषण है। उसी तरह से अभी कहते हैं कि हम शिक्षा में तरक्की करवा रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान चलाया जाता है। हमारा कहना है कि स्कूल में 12 लाख मास्टरों की कमी है। पहले 22 लाख मास्टरों की कमी थी। उस कमी की पूर्ति कैसे की गई है? मित्रवर, परम टीचर बहाल कर रहे हैं। बिना पढ़े-लिखे उन्हें बहाल कर दिया। वह पढ़ाई कराते हैं। गांवों में गरीबों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वे कैसे पढ़ेगें। ...(व्यवधान) गरीबों के बच्चे ऐसे स्कूलों मे पढ़ते हैं जबकि बड़े आदमी के बच्चे पांच हजार, आठ हजार, दस हजार और बीस हजार रुपये महीना देकर दून स्कूल, प्रिंसेज स्कूल आदि में पढ़ते हैं। मेयो स्कूल, बॉम्बे स्कूल, रंग-बिरंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों का क्या होगा? उनके स्कूलों में तुमने मास्टर कैसे नहीं रखा? जो मास्टर भी रखा, तो पैरा-टीचर रखा, जिसकी योग्यता नहीं है, योग्यता पता नहीं है। इस तरह से गरीबों के साथ छल नहीं होना चाहिए। डा. राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म शताब्दी समारोह सम्पन्न हुआ है, ने कहा है कि चाहे राष्ट्रपति या हो...* की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। यही होना चाहिए, लेकिन यहां कांवेन्ट स्कूल, बड़े और कीमती स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और आम आदमी, गरीब के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां छप्पर नहीं है, किसी की दीवार ही नहीं है, किसी में मास्टर ही नहीं है, ब्लैकबोर्ड नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : जो भी अनपार्लियामेंटरी शब्द बोला गया है, उसे एक्पंज कर दिया जाए। आपका सन्दर्भ दूसरा था, लेकिन उस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कानून में यह बात है कि राष्ट्रपति का नाम लेकर भाषण को असरदार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यह तो हम लोगों का नारा था। ...(व्यवधान) हमारा भाव है कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई और देश के बड़े आदमियों के बच्चों की पढ़ाई एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर ए.सी. वाला स्कूल है, बच्चे को लेने के लिए ए.सी. वाली बस आती है और उधर हमारे गरीब आदमी के बच्चे के लिए स्कूल में छप्पर ही नहीं है, मास्टर ही नहीं है। वहां 1000 पढ़ने वाले बच्चों के लिए दो मास्टर हैं और उन मास्टरों को भी जनगणना के काम में लगा दिया जाता है, पढ़ाई ही बंद रहती है, चौपट रहती है। यह हालत है गांव के स्कूलों की। इसीलिए जो बीपीएल परिवार के बच्चे हैं, उन सभी को हॉस्टल बनाकर अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई दिलानी चाहिए, तब युग बदलेगा, तब देश बदलेगा और तब भारत बनेगा, नहीं तो गैर-बराबरी और विषमता की जो खाई बढ़ती जा रही है, वह देश की एकता

के लिए बड़ा खतरा है। शांति पर भारी खतरा है। इसीलिए यह संकल्प पारित किया जाए और सरकार इसे लागू करे। अपना माथा चौड़ा करे, अपने दिमाग का विस्तार करे और गरीबी हटाने की तरफ सरकार यह संकल्प करे कि इसे मैं कालबद्ध ढंग से करेंगे और सदन को विश्वास में लेकर आगे बढ़ेंगे। जिससे यह देह पूरा अंगार अरे, पूंजी सी जल जाएगी, मानवता की काली बिन्दी, छार-छार हो जाएगी।

इसलिए महोदया, इसको करना है, इसी के लिए यह संकल्प आया है और माननीय सदस्यों की इसमें बड़ी रूचि है और देश के करोड़ों गरीबों के लिए यही ठोस उपाय है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अन्यथा संघर्ष ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, जब जात तोड़, जब पांत तोड़, जब फौज यह हल्ला बोलेगा, मानेगा नहीं जो चाहेगा सो ले लेगा, देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी में पानी है।

MADAM CHAIRMAN : Resolution moved:

"This House expresses its serious concern over the plight of persons living below poverty line and urges upon the Government to take the following steps in a time bound manner to eradicate poverty from the country by the year 2015:-

(i) identify the families living below poverty line in all the States;
(ii) provide vocational training and thereafter gainful employment to atleast one member of every such family;
(iii) provide family pension at the rate of not less then rupees three thousand per month to every such family, where gainful employment is not provided to any member of that family; and
(iv) provide quality education up to senior seceondary level to all children belonging to such families, free of cost."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन कोई भी प्रस्ताव निर्गुण होता है। उसको सगुण बनाने के लिए जब किसी ठोस कार्यक्रम की बात नहीं होती है, तो निर्गुण से लाभ नहीं मिलता है। जो बात वह कह रहे हैं, मैं उस पर आता हूं कि इसके लिए संसाधन आएगा कहां से और जो कोई इस देश में कहते हैं कि संसाधन का अभाव है, मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में संसाधन का अभाव नहीं है, बल्कि दृष्टि और इच्छाशक्ति का अभाव है।

कबीरदास जी ने कहा था - जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दरस कहां से पाई। अगर हम इस देश के उस निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित वर्ग के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं, उन्हें भी मानवता के साथ समता और समरसता के समाज में जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने आपको बदलना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि केवल सरकार के करने से यह होगा। अगर हम इस बात को कहें कि सरकार के करने से यह हो सकता है तो सभी पार्टियों की सरकारें यहां आई हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इसलिए नहीं निकल पाया कि जब तक राष्ट्र की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी, समाज की इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी और भारत की संसद, भारत के विधान मंडल, भारत के नौकरशाह जब तक अपने को रूपांतरित नहीं करेंगे, तब तक नए समाज का जन्म नहीं हो सकता।

महोदया, मैं कल प्रणब दादा का भाषण सुन रहा था। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने बड़े अच्छे-अच्छे तर्क अपने भाषण में दिए थे। जब दादा बोल रहे थे, तो उनके तर्कों को काटते नहीं थे। कहते थे कि अपनी जगह पर आपका तर्क भी सही है, लेकिन आज की तारीख में इसका यह विश्लेषण है और इसका यह अर्थ भी निकलता है। मैं बहुत आनंद ले रहा था कि एक विद्वान के तर्क पर एक विद्वान अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री कैसे एक-दूसरे के तर्कों पर चर्चा कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। वह भी आनंद ले रहे थे और उन्होंने जवाब भी दिया। मुझे भी आनंद आ रहा था, जब यशवंत जी बोल रहे थे तब भी मैंने ताली बजाई और जब प्रणब बाबू बोल रहे थे, तब भी मैंने तालियां बजाईं, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से सही थे। सत्य तब निकलता है जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। उसी बीच में जब वह बोल रहे थे, तो हमने आवाज उठाई सांसद निधि कोष का क्या होगा। उस समय सम्पूर्ण सदन के सदस्यों की एक राय थी, एक दृष्टि थी। उसीतरह, जिस दिन इस संसद के सभी सांसद एक साथ खड़े हो जाएंगे कि भारत से गरीबी को मिटाना है, समता समाज लाना है, राष्ट्र को बलवान बनाना है, उस दिन राष्ट्र का रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद इस मामले में कभी इकट्ठी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जब हम इस ओर बढ़ेंगे, तब हम लोग गाली देने लगेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने कितना खाया, तुमने कितना गरीब का खून चूसा। इस उलझन में हम लोग लग जाते हैं। इसीलिए हम इस बात की ओर बढ़ें।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश में नौकरशाह हैं। उनके चौथा, पांचवा और छठा वेतन आयोग बनता है। इससे उनके वेतन में बढ़ोत्तरी होती है, सुख में वृद्धि होती है, सुविधा बढ़ती है। इसलिए जब-जब महंगाई बढ़ती है, तब-तब महंगाई भत्ता भी बढ़ता है और उनके वेतन में इजाफा होता है। सरकार का खजाना लुटता है, लूटने वाले के पॉकेट में जाता है। इसलिए महंगाई की मार को वह क्या जाने कि महंगाई क्या होती है। इसलिए इस देश में एक सुविधाभोगी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है। उस वर्ग में जो राष्ट्र के खजाने से वेतन पाते हैं, वह शामिल है। उसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, नौकरशाह भी हैं और व्यवसायी भी हैं, जो सरकारी खजाने से सविधा पाते

हैं, वेतन पाते हैं। मैं व्यवसायी का नाम इसलिए लेता हूं कि आज सरकार ने जवाब दिया कि एनपीए खातों में 1,89,036 करोड़ रुपया बकाया है। उसके अलावा 24,316 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया है। अगर सरकार के पास और हमारे पास संकल्प हो, तो इसे रिकवर किया जा सकता है। मेरे पास सन् 2008-2009 के एक अतारांकित प्रश्न संख्या 2893, 24 जुलाई, 2009 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया था कि लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों सहित सन् 2008-2009 में 10,54,390 करोड़ रुपया इन पर बकाया है। इस 2009-2010 में आकर जो जवाब मुझे मिला, वह 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ कर 14 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। रघुवंश बाबू, इन बड़े उद्योगपतियों पर जो 14 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। उसके अलावा एनपीए में जो छोड़ दिया गया है और बट्टे खाते में जो पैसा डाल दिया गया है, यह कुल मिलाकर 16-17 लाख करोड़ रुपया बनता है। अगर देश में संकल्प हो, संसद में संकल्प हो, हम अपने रिश्ते को छोड़ दें, उन उद्योगपतियों से नाता तोड़ लें, तो देश का कितना विकास हो सकता है इस पैसे को वापस लाने से, यह आप समझ सकते हैं।

देश के उद्योपतियों को कौन बुरा कह सकता है, इसलिए कि जो उद्योगपति है, जो ऊपर के 20 घराने हैं, ईमानदारी से कहो कि उन 20 घरानों का सम्बन्ध किस राजनीतिक दल से नहीं है। सब घर में जाता है, सब के घर में बैठता है, सब के घर में खाता है, सब को कुछ खिलाता है, उनके साथ क्या हम आंख में गर्मी लेकर लड़ सकते हैं? हमारी आंख में शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला नहीं आयेगी। डा. लोहिया ने कहा था कि एक आंख में शंकर के त्रिनेत्र की गर्मी हो, दूसरी आंख में गरीबों के लिए करुणा की धारा हो, तभी आप इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?

छठा वेतन आयोग आयेगा तो राजनैतिक दलों से लेकर सभी राज्य सरकारें कहेंगी कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दो, बोनस दो, उनको सब कुछ दो, लेकिन इस देश में 85 प्रतिशत लोग जो गांव में हैं, 70 प्रतिशत किसान और मजदूर हैं, जो आधा पेट खाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं।

महोदया, जब मैं बोलता हूं तो मुझे अपना घर याद आ जाता है। जब मैं अपनी मां के पेट में था, तब मेरी मां मेहनत मजदूरी कैसे करती थी, वह मुझे याद आता है, उस दर्द को कौन जानेगा? आज लाखों माताएं झोंपड़ी में सोती हैं, चटाई ओढ़ती हैं, अपने बच्चे को कलेजे से लगाती हैं, वह रात में एक धोती के सहारे खुद अधनंगी सो जाती हैं। क्या उन गरीब माताओं को किसी ने देखा है? मैंने देखा है क्योंकि हम और हमारे कुछ साथी उस रास्ते से चलकर इस संसद में आये हैं।

चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जब मैं भारत का प्रधान मंत्री बना तो मेरी नजर एक बार अपने गांव में जाती थी, जहां वही मिट्टी की दीवारें, वही फूस का झप्पर, वही कच्चा कुंआ, वही आधा घर, वही गाय-भैंस और वही साईकिल। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर इस देश के उन गरीबों को उठाना चाहते हो तो निर्ममता-पूर्वक इस संसद को सोचना पड़ेगा, निर्ममता-पूर्वक इस संसद को अपने को बदलना पड़ेगा।

मैं एक-दो उदाहरण डा. लोहिया के देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। रघुवंश बाबू और हम उसी स्कूल से आये हैं। समाजवाद के बारे में डा. लोहिया ने उस समय कहा था कि समाजवाद अन्य किसी सिद्धांत की तरह - एक होता है थोक, एक होता है फूटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद की एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी, उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो तो आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी और उससे एक सीढ़ी नीचे उतरो, उसके बाद आयेगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता, और उसके बाद एक सीढ़ी नीचे उतरो, तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। यह है समाजवाद की व्याख्या, यह है समाजवाद का मतलब। जब हम इसके लिए चलते थे एक ही नारा लगाते थे। राजापुत निर्धन संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सौ से कम न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, सबकी शिक्षा एक समान। " लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हजारों लोग गरीबों के घर से निकलकर आयेंगे, लड़ते-लड़ते मर जाएंगे, चिता पर चले जाएंगे, बिना कफन के जल जाएंगे, उनकी आवाज गूंजती रह जाएगी, लेकिन इस देश का कुछ भी हिलने वाला नहीं है क्योंकि यह देश कपटी और पाखंडियों का देश है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, हमारे गुरु डा. लोहिया ने कहा था कि जब कोई सरकार या देश सम्पत्ति संचय और असत्य बातों के रास्ते पर चला जाता है तब भूख को वह मिटा नहीं सकता, भूख को वही मिटा सकता है जो सत्यवादी बने और सम्पत्ति संचय को छोड़े। क्या हम देश में अधिकतम और न्यूनतम का कानून बना सकते हैं? सबसे नीचे एक और सबसे ऊपर दस। अगर महामहिम राष्ट्रपति का वेतन डेढ़ लाख रुपया है तो हिंदुस्तान के सबसे नीचे हल चलाने वाले किसान को उसका दसवां हिस्सा मिलना चाहिए। जिस दिन एक और दस का अंतर इस देश में आ जाएगा, उस दिन यह देश विश्व का सबसे संपन्न और बलवान देश बन जाएगा।

क्या हम ऐसा कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाले चीजों के दाम घटाएं, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएं। अपनी ताकत, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों कुछ नहीं करते हो। उन्होंने 10 अप्रैल, 1964 को संसद में बोलते हुए कहा था, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पैसे आएंगे, लेकिन उसके लिए पहल कौन करेगा? जैसे सरकारी नौकर कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगें पूरी हो। वैसे ही हम भी सांसद और विधायक देश में कहते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ गई, सरकारी नौकरशाह लूट रहा है, उसी के अनुपात में मेरी भी तनख्वाह, वेतन और भत्ते बढ़ा दो। सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ता जाएगा, तो गरीबों के लिए पैसा कहां से बचेगा। अगर यह नियम बने कि सौ से कम न हजार से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। क्या हम इसे मानने के लिए तैयार हैं?

दसरी बात मैं एक और कहंगा। कल प्रणब दादा कह रहे थे एनसीएईआर। उसमें था कि उस समय देश में बिरला सबसे ऊपर थे,

लेकिन आज अम्बानी ऊपर है। उस समय एनसीएईआर ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि इस देश के नीचे के 20 फीसदी लोगों की कुल जायदाद तराजू के एक पलड़े पर और बिरला की जायदाद तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दें, तो अकेले बिरला की जायदाद उनसे ज्यादा है। आज की तारीख में अम्बानी घराने की कुल जायदाद तराजू के एक पलड़े पर रख दी जाए और दूसरे पलड़े पर हिंदुस्तान के 30 प्रतिशत निर्धन निर्बल वर्ग के लोगों की जायदाद को रख दिया जाए, तब भी अम्बानी की जायदाद का पलड़ा भारी होगा, लेकिन अम्बानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि अम्बानी की सभी जगह पैठ है। सभी दरबार में अम्बानी की जय-जयकार है। इसीलिए आज व्यापारी निर्भय है, उद्योगपति निर्भय है, भ्रष्टाचारी निर्भय है, देश को लूटने वाला निर्भय है, अपराध करने वाला निर्भय है, क्योंकि उन्हें संरक्षण देने वाला प्रशासन और राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ है। हमारे गांव में कहते हैं - पिया भये कोतवाल, तो डर काहे का। जिसे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलेगा, वह क्यों डरेगा। सबसे ज्यादा संरक्षण जाति के नाम पर मिलता है। लोहिया जी कहते थे कि जाति के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े पैदा होते हैं, पनपते हैं और देश को चाटते हैं। कोई भी भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी हो, जाति के नाम पर पार्टियों के लोग उसकी संरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने बिहार में मधुबनी में इस बात को भोगा है। वहां डीडीसी एक जाति विशेष का था, उसने भ्रष्टाचार किया। जिला परिषद को लूटा। मैं उसके खिलाफ लड़ा, लेकिन सभी पार्टी के उसकी जाति के नेता उसके पक्ष में खड़े हो गए। हम अपने चरित्र से उस पाखंड को छोड़ें। शैलेन्द्र जी बैठे हैं, रघुवंश जी भी राजपूत भले हों, लेकिन वे जिस परिवार से हैं, मैं जानता हूं। जिस धारा में थे, कितनी रातें जमीन पर सोए होंगे, साइकिल पर चले होंगे, सूखी रोटी खाई होगी, इसे शरीर ही जानता है। मंगनी लाल मंडल यहां हैं, वे किस परिवार से उठ कर आए हैं, वे स्वयं जानते हैं। " जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई, का दुख जाने दुखिया का, दुख जाने दुखिया की माई। " मेरे पिता जी स्वतंत्रता सेनानी थे। अनपढ़ थे। आधी धोती पहनते थे, आधा तन ढकते थे। कभी देह पर गंजी और पूरी बाजू का कुर्ता नहीं देखा था, लेकिन मैंने उनके साथ खेत में काम किया है। हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर आधा एकड़ जमीन जोतने वाले नाई के बेटे थे। जिस दिन वे मरे, उस दिन आधे एकड़ जमीन रह गई। जो चादर सुरनर मुनि ओढ़े, ओढ़ कर मैली कीन्हीं, जतन से ओढ़े दास कबीरा जस के तस धर दीन्हीं, चदरिया झीनी रे झीनी। वे महान कर्पूरी ठाकुर दस कट्ठा जमीन जोतने वाला नाई का बेटा बिहार का दो बार मुख्यमंत्री बना। दस साल तक बिहार के जातिवादी नेताओं के कलेजे पर चढ़ कर हम लोगों के कारण बिहार का राजा बन कर रहे।

जब वह मरे तो दस कट्ठा जमीन छोड़कर चले गये। आज हम एमएलए, एमपी बनते ब। बाप हल चलाता है, बेटा लखपति बन जाता है। बाप-मां कहीं रहते हैं, बेटा लखपति, करोड़पति बन जाता है। हमको चढ़ने के लिए साइकिल नहीं रहती है, यहां आते हैं तो स्कॉरपियो से ऊपर एक फॉर्चून गाड़ी निकली है, हम तो डिसफॉर्चुनर हैं। बाकी फॉर्चून वाले हैं। वहां हम जाते हैं तो हम क्या गरीबों के यहां रह पाते हैं? रघुवंश बाबू, इसलिए इस संसद के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। संसद इतिहास बदल सकता है। संसद उन गरीबों को 3000 रुपये महीना भत्ता दे सकता है। संसद चाहे तो उनकी जिंदगी में नयी रोशनी ला सकता है। संसद चाहे तो जाति को मिटा सकता है और संसद चाहे तो इसी हिन्दुस्तान को एक नया हिन्दुस्तान बना सकता है लेकिन-- इस "लेकिन" पर आकर मैं रुकता हूं क्योंकि जिसको बदलना है, वे नहीं बदलेंगे। लम्बी-लम्बी बात हम करेंगे लेकिन हम इतिहास नहीं बना पाएंगे और न ही हम इस संसद को बदल पाएंगे। आइए, इसदेश को मजबूत और बलवान बनाना है।

मैं कॉमनवैल्थ गेम्स और दुनिया के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं। मैं गरीब आदमी हूं। 1000 रुपये की चोरी हो जाती है को कलेजा फटने लगता है। यहां खड़ा होता हूं, 1000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये, 5000 करोड़ रुपये। कोई सड़क खा गया, कोई हवाईजहाज खा गया, कोई स्टेडियम खा गया। अरे उसका पेट है कि राक्षस का पेट है कि ईंटा, रोड़ा, गिट्टी खाता है, सब कुछ खाता है, सब कुछ पचाता है। अब क्या बाकी है जो छोड़ देगा और पचाते-पचाते इस देश के 85 प्रतिशत निर्धन निर्बल गांव के गरीब किसानों की हड्डी पचा गया. उनका मांस पचा गया और खून पी गया। तब भी हम नहीं चेतते हैं. हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं।

अंत में, मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यह जो 3000 रुपये आपने मासिक भत्ता देने की बात कही है, जब लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय किसान की हैसियत से मैं उसमें बैठता था और मैंने उसमें यह प्रस्ताव रखा था। हमारी पार्टी के कई लोगों ने कहा कि कैसे होगा, लेकिन आडवाणी जी ने कहा कि क्यों नहीं होगा? हुकुम देव जी जो कह रहे हैं, सही है। इतने लोगों को अगर पेंशन मिलेगी तो गरीब किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? क्या 100 रुपये रोज भी पेंशन नहीं मिलेगी? हम तो सौ रुपया रोज मांगते। हम कुछ नहीं मांगते। भारत सरकार का जो चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, उसको जितनी पेंशन देते हैं, उस फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के बराबर ही उन गरीबों को पेंशन दे दो। क्या उतना भी नहीं दे सकते हैं? इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 3000 रुपया कम से कम उनको महीने का मिले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, खाट पर पड़ी रहेगी, बेटा आएगा, बहू आएगी, सेवा करेगी कि बूढ़ा-बुढ़िया ज्यादा दिन जिंदा रहें क्योंकि 3000 रुपये पेंशन मिलेगी और वे भी खाएंगे। वे सोचेंगे कि बूढ़ा-बूढ़ी हमारे बेटा-बेटी को भी पढ़ाएंगे। इसलिए हमारा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक सम्मान होगा। इसलिए आइए, संसदीय और प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दीजिए। हिन्दुस्तान में एक समता समाज लाने के लिए गांधी, अम्बेडकर, लोहिया, दीन दयाल की दृष्टि के आधार पर नये भारत का निर्माण करने के लिए हम आह्वान करते हैं।

अंत में, मैं इस लोक सभा चैनल चलाने वाले को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी बात को देश के लाखों गरीब सुन रहे हैं। यह संसद बदले या न बदले, हम बदलें या न बदलें, नौजवानों, यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। विद्यालय को छोड़ दो। उनमें ताले लगा दो। सड़क पर आ जाओ। दिल्ली में बीस लाख लोग पटरियों पर सोते हैं, उन गरीबों को उठा लो और एक दिन इस संसद के चारों तरफ घेरकर तुम बैठ जाओ कि जब तक तुम अपना अधिकार नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा घेरा नहीं उठेगा। जिस दिन बीस लाख लोगों के साथ नौजवान निकलकर आएगा, उस दिन वह इस देश का इतिहास बदल देगा। हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा क्योंकि हम और आप कहीं न कहीं उस सविधा भोगी समाज के अंग बन गये हैं। इसलिए प्रार्थना करता हं कि देश के नौजवानों, गरीब किसानों, हम बदलें

या न बदलें, हमसे आशा छोड़ो, तुम आगे निकलो, स्कूल-कॅलेज और विद्यालय को छोड़ दो और तुम्हारा मैं आह्वान करता हूं कि:-

" आओ श्रमिक, कृषक मजदूरों, इंक्लाव का नारा दो,

शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,

फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है,

तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रंति द्वार पर आई है।"

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं आभारी हूं कि आज सदन में माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत किया है। यह राजनीतिक विषय नहीं है। इस पर कदाचित सभी सहमत हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी की दृष्टि है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए गरीबी रेखा उन्मूलन के लिए कुछ योजनाएं और कार्यक्रम चलाएं। चाहे ये योजनाएं सैल्फ हैल्प ग्रुप, सैल्फ एम्प्लाएमेंट स्कीम से स्वावलंबी बनाने के लिए चलाएं जिससे वे आने वाले दिनों में गरीबी रेखा से ऊपर आकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ये देश की एक श्रेणी में आ सकें, गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें, जहां हम मानते हैं कि गरीबी होना अभिशाप है, कलंक है। डॉ. रघुवंश जी और यादव जी ने बहुत अच्छे ढंग से गरीबी का चित्रण किया है। इसका चित्रण जिस मार्मिक ढंग से किया है, सदन उनकी अभिव्यक्ति और भावनाओं से सहमत है। आज सदन इस संकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चाहे तेंदुलकर कमेटी, अर्जुन सेन गुप्त या डॉ. सक्सेना की रिपोर्ट हो, इसमें इस बात पर भिन्नता हो सकती है कि तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से 38 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अर्जुन सेन गुप्ता के हिसाब से 78 परसेंट लोग बीस रुपया खर्च करने की क्षमता रखते हैं या सक्सेना रिपोर्ट के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में हैं जिन्हें 2400 कैलोरी खाना उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीब हैं, उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ अभी तक कितना मिला? जैसा माननीय रघुवंश जी ने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें भविष्य में कौन सी रणनीति बनानी होगी? कौन सी कार्य योजना बनानी होगी? हम इस देश में चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, वास्तविक रूप से राजनीति से ऊपर उठकर, हम सब सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में समझते हैं कि खेत खलिहान, चौपाल में बैठे हुए दलित नारायण के लिए जो भी व्यक्ति चुनकर आया है, कहीं न कहीं उनकी सेवा करता है, उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है और कर्तव्य के बोझ से उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना चाहता है। इसमें किसी एक राज्य बिहार या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कही है। आज सदन को इस बात की चिंता होनी चाहिए अगर इस मामले में प्रस्ताव रखा है, क्या सभी राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुम्बों की पहचान की गई है? बीपीएल की बात उठाई गई। बीपीएल लिस्ट कब तक तैयार हो जाएगी? हम कब तक बीपीएल को आइडेंटीफाई कर लेंगे? हमें देखना चाहिए कि आज जो गरीबी रेखा में आइडेंटिफाई हैं या जिनके पास बीपीएल है, उन बीपीएल के लिए रोजगार देने के लिए, सैल्फ हैल्प में स्वाबलंबी बनाने या रोजगार के लिए लोन देने के लिए कोई योजना बना रहे हैं? इन योजनाओं से कितना लाभ मिला है? इस संकल्प पर मैं डॉ. साहब और सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि समय-समय पर जो भी सरकारें रही हैं, चाहे केंद्र या राज्य में हों, सबने देश के गरीबी रेखा के नीचे रहेने वाले लोगों या बेरोजगार व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं।

आपने स्वयं उल्लेख किया कि आईआरडीपी योजना चली थी। एक प्रोग्राम नहीं चला। आईआरडीपी चली, उसके बाद आपको याद होगा, हर राज्य में 'ट्राइसेम' चला। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे युवा थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके और वह ट्रेनिंग ऑफ रुरल यूथ फार सैल्फ इम्पलायमैन्ट का एक प्रोग्राम चला। दो प्रोग्राम के बाद तीसरा प्रोग्राम डीडब्ल्यूसीआरए का चला, जिसका मतलब है डैवलपमैन्ट ऑफ वूमैन एंड चिल्ड्रन इन रुरल एरियाज। कहने का मतलब यह है कि केवल यहीं दृष्टि नहीं गई कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों को सुविधा दें। मैं समझता हूं कि आज चाहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, उसमें भी आज पचास प्रतिशत सैल्फ हैल्प ग्रुप में महिलाओं को लाभ हो सके तो इस तरफ भी दृष्टि भी गई है कि देश के राज्यों में रहने वाली महिलाएं, जिनके ऊपर परिवार का बोझ है, जिनके ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है। जहां उसका पति या उस परिवार का मुखिया मेहनत करता है। आज गांव में कदम से कदम मिलाकर उसकी पत्नी या उस महिला को भी साथ देना पड़ता है। चाहे वह गांव के खेत में हो या खलिहान में हो या घर की गृहस्थी चलाने में हो। उनके लिए भी यह प्रोग्राम चला।

इसके बाद 'सिट्रा' का प्रोग्राम भी चला। जो सप्लाई ऑफ इप्रूवमैन्ट टूल किट्स फॉर रूरल आर्टिजन्स। ताकि गांवों में लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि लोगों को ये टूल्स दिये जा सकें। आपको याद होगा कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से टूल्स बांटे जा रहे थे, चूंकि वे लोग पांच हजार रुपये के भी टूल्स नहीं खरीद सकते थे तो उन्हें फ्री दिया जाए। जिससे कि गांवों में जो लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि हैं, कम से कम यदि वे इक्युप्ड टूल्स हो जायेंगे तो वे अपने गांव में, जो आपकी धारणा है, भावना है कि दो,तीन या चार हजार रुपये कमाकर अपनी परिवार जीविका चला सकें।

उसके बाद आपको याद होगा कि मिलियन वैल स्कीम चली और देश के सभी राज्यों में यह योजना चली, जिससे कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें।

इसके बाद गंगा कल्याण योजना चली। उसके बाद वर्ष 2007 में एसजीएसवाई योजना चली। इस तरह से छः कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए चलाये गये। क्या यह सदन आज इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि इन योजनाओं में हमने अरबों रुपये खर्च किये। केन्द्र सरकार और तमाम राज्यों ने भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने-अपने राज्यों में योजनाएं चलाई। लेकिन अगर आज इसके बावजूद भी फिर तेंदुलकर कमेटी की बात आई।

The Tendulkar Committee Report says:

> "Nearly 38 per cent of the Indian population is poor and this report is based on new methodology and the figure is 10 per cent higher than the present poverty estimate of 28.5 per cent."

The N.C. Saxena Committee Report says:

> "Since 1972 poverty has been defined on the basis of the money required to buy food with 2,100 calories in urban areas and 2,400 calories in rural areas."

In June this year, a Government Committee headed by Shri N.C. Saxena estimated that 50 per cent Indians are poor as against the Planning Commission's 2006 figure of 28.5 per cent.

Another report says that even after more than 50 years of Independence, India still has the world's largest poor people in a single country. Of its nearly 1 billion inhabitants, an estimated 263 millions are below the poverty line of which 193.2 million are in rural areas.

The poverty level is below 10 per cent in States like Delhi, Goa and Punjab whereas it is 50 per cent in Bihar, 47 per cent in Orissa and 30 per cent to 40 per cent people are below the poverty line in some States and Uttar Pradesh is also one of them.

सभापति महोदया : माननीय सदस्य एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, कृपया शांत रहें।

श्री जगदम्बिका पाल : इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। आज हम इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि आज भी हम कहां खड़े हैं। इन योजनाओं के चलाने के बाद आज भी 30 से 40 परसैन्ट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं। असम, त्रिपुरा और मेघालय में हैं। सदर्न स्टेट्स के तमिलनाडु में हैं। पचास परसैन्ट के लगभग बिहार में हैं और 47 परसैन्ट उड़ीसा में हैं। फिर आखिर हम कौन सी योजना चलायें। इन योजनाओं के बाद आपको याद होगा कि वर्ष 2007 में जब हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई तो उससे गांव-गांव में सैल्फ हैल्प ग्रुप की फोर्मेशन हुई और 3.2 मिलियन ग्रुप्स हमने तैयार किये, जिसकी रिपोर्ट आई। वर्ष 2008 में हमारी ग्राम विकास की रिपोर्ट है कि हमने इन परिवारों को इस प्रोग्राम का लाभ दिया है। लेकिन आज गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के संबंध में ही चर्चा हो रही है। आखिर इन योजनाओं के बाद उसी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए चर्चा हो रही है।

आज नरेगा का कार्यक्रम चला। नरेगा के पीछे क्या है? मैं समझता हूं कि केवल यह कहना कि केन्द्र तीन हजार रुपये प्रतिमाह लोगों को दो दे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वे फिर क्यों खड़े होगे, कोई अपने पैरों पर स्वावलम्बी क्यों होगा? समझता हूं कि राज्य एक वैलफेयर स्टेट है। पिछले साल राज्यों को केन्द्र की ओर से नरेगा में 39 हजार करोड़ रुपया दिया गया और इस वर्ष हमने 40,100 करोड़ रुपये सभी राज्यों को दिये हैं। आखिर उसके पीछे क्या भावना थी? आज भी जिस तेंडुलकर की बात होती है, जिस सक्सेना की बात होती है या जिस अर्जुनसेन गुप्ता की बात होती है तो उन लोगों की ही दृष्टि थी। यू.पी.ए. सरकार ने सोचा कि आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है,,उन लोगों को गांव में कोई सुलभ अवसर नहीं मिल रहा है। कितना पलायन हो सकता है, कितने लोग सूरत या मुम्बई या अहमदाबाद या दिल्ली जा सकते हैं? अगर गांवों में रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा तो न बेरोज़गारी दूर होगी और न गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। आज उस दृष्टि को रखकर, मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसके पीछे यही दृष्टिकोण रहा है। कल श्री यशवंत सिन्हा सप्लीमेंटरी बजट पर बोल रहे थे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी प्रोग्राम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है.। यह बात तो हम भी उठाते हैं, हमारे साथी भी उठाते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इस संघीय ढांचे में हमारा क्या काम है? हम राज्यों की पापुलेशन के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से देते हैं। यह डिमांड ओरिएंटेड प्रोग्राम है कि राज्य 100 दिन के रोज़गार के लिये 100 रुपये के हिसाब से, जो 18 साल के लोग हैं, जो भी डिमांड करेंगे, उन्हें रोज़गार देने के लिये केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है। जब केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है, केन्द्र सरकार डिमांड ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिये पैसा देने को तैयार है तो क्या राज्य सरकार का दायित्व नहीं है कि वह 100 दिन के लिये 100 रुपये के हिसाब से रोजगार दे। अगर राज्य सरकारें 100 दिन का रोज़गार न दे पायें तो मैं समझता हूं कि उन राज्य सरकारों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। अगर केन्द्र सरकार पैसा न द रही होती तो हम गनाहगार होते कि हम आज राज्यों की मांग के अनसार पैसा नहीं दे

पा रहे हैं।

सभापति महोदया, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बैठे हुये हैं. वे राज्यों के आंकडें बता देंगे कि कौन कितने राज्य हैं जिन्होंने 100 दिन का काम दिया या 100 दिन का काम लिया? आज कितनी शिकायतें आ रही हैं जब कि हम लोग कह रहे हैं कि लोग ब्लाक में काम कर लेते हैं और बीमार है, उनके जायज कार्य के बाद उनको पैसा नहीं मिलता है। प्रतिपक्ष के लोग भी इस बात को कहते हैं। केन्द्र सरकार से हम लोग पैसा दे रहे हैं और अगर आज मनरेगा में कोई प्रोजैक्ट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, डेवलेपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है तो इस तरह से यह राईट टू वर्क की फंडामेंटल राईट है। यह राईट टू वर्क की गारंटी है। जिस तरह से संवैधानिक गारंटी है, उसी तरह गारंटी है कि आदमी को रोज़गार दिलाने का काम सरकार का है। हर राज्य के लोग कहते थे कि हम सत्ता में आयेंगे तो हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देंगे। लेकिन अगर आज देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के गांव में नौजवान के द्वारा काम मांगा जायेगा तो उसे रोजगार देने का फैसला अगर किसी ने लिया है तो कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने लिया है कि हम किसी को बेरोज़गार नहीं रहने देंगे। हमने केवल राईट टू वर्क नहीं बनाया। हमारे साथी शिक्षा के बारे में कह रहे थे। आज शिक्षा एक साथ क्यों न हो? हमारे राष्ट्रपति का, एससीएसटी का या बाल्मीकि समाज का बच्चा एक साथ पढ़ें। यह नारा डॉ. लोहिया जी के जमाने से लगता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकारें आई, मिलीजुली सरकारें आयीं, जनता पार्टी की सरकार भी आयी। तमाम राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं तो वह कब होगा - निर्धन हो या धनवान, सब की शिक्षा हो एक समान। नारा सामने बैठने वालों का है, उसे मूर्त्त रूप कौन दे रहा है, वह कांग्रेस की यूपीए सरकार दे रही है। क्या हम नहीं दे रहे हैं? राईट टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट किसने पास किया? आखिर इसी संसद में, इसी 15वीं लोक सभा में हम लोगों ने पास किया। इसलिये पास किया कि शिक्षा के मामले में, फूड सिक्यूरिटी के मामले में, एम्पलायमेंट के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। चाहे वह दारा सिंह चौहान जी हों या शैलेन्द्र कुमार जी हों और चाहे भोला सिंह जी हों या हरिन जी हों , चाहे कोई भी हो। देश के किसी राज्य के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। हम देश के गांवों में रहने वाले किसी भी बच्चे को, झोंपड़-पट्टी में रहने वाले बच्चे को हम उसी तरह से पढ़ाना चाहते हैं जिस तरीके से दिल्ली या लखनऊ में रहने वाले धनाढय व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना चाहते हैं, उसकी प्रतिबद्धता हमारी केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार की है।

उसी के तहत हमने यह एक्ट पास किया है। राइट टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन का मतलब यही था कि देश के छह हजार विकास खंडों में हम पहले छह हजार मॉडल स्कूल खोलें और छह हजार मॉडल स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ने का अवसर दें। आईसीएसई, सीबीएसीई की जो शिक्षा है, उसी के पैटर्न पर कि गांव की प्रतिभाएं दुनिया के शहरों या दुनिया के मुल्कों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में खड़ी हो सकें। वे न केवल उनके मुकाबले में खड़ी हों सकें, बल्कि वे उनसे आगे निकल सकें। आज भी आई.आई.टी., आई.आई.एम. में बिहार के बच्चे आ रहे हैं। आपने देखा कि सुपर-30 के बच्चे आई.आई.टी. में सलैक्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं केवल शहरों में ही हैं, प्रतिभाएं गांव में भी हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जब हमने यह एक्ट पास किया तब यह तय हुआ कि राइट टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन में 55 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी और 45 प्रतिशत राज्य देंगे। राज्यों ने कहा कि हम इतना बोझ नहीं सह सकते हैं तो फिर इसे 60 परसेंट और 40 परसेंट किया गया। आज केंद्र सरकार 68 परसेंट देने के लिए तैयार है। अब केवल राज्यों को 32 परसेंट देना है। यहां दारा सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी आ गयी कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। हम मुफ्त और नःशुल्क शिक्षा उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए भी, जो यह केंद्र सरकार चलाने जा रही है, हम यह ब्लाकों में, विकास खंडों में नहीं दे सकते हैं। उन गरीब बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। क्या यह राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आप 90 परसेंट दीजिये, राज्य सरकार 10 परसेंट देने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : दारा सिंह जी बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : राज्य सरकार तैयार है तो हम निश्चित तौर से आपका स्वागत करेंगे। आपने शायद बहन जी का वह पत्र नहीं देखा है जो केंद्र सरकार के पास आया है।

श्री दारा सिंह चौहान : हमने देखा है।

श्री जगदम्बिका पाल : बहन जी ने पत्र लिख दिया है। जिस दिन राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट पास हुआ तो पूरे देश के गरीब बच्चों को चाहे वह रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, रेहड़ी वाला हो या कुली हो, उसे यह अहसास हुआ कि पहली बार इस देश में इतना बड़ा क्रान्तिकारी फैसला हुआ है। देश में चाहे कोई निर्धन हो या धनवान हो, सबके लिए समान शिक्षा होगी। इसे मूर्त रूप देने का काम किया जायेगा। हमें चिंता है, इसलिए हमने राज्यों का शेयर कम किया। उन्हें मात्र 32 परसेंट ही देना है, लेकिन क्या उन मॉडल स्कूलों के खुलने का कोई प्रस्ताव है। यह दुखद बात है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिये कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में कम से कम वे राज्य का अपना शेयर दें, जिससे उन बच्चों का भविष्य बन सके। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस शिक्षा की बात आयी है, अगर इस गरीबी को दूर करना है तो केवल कुछ पैसा देकर हम इसे दूर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उन्हें शिक्षित नहीं कर देंगे तब तक हम उन्हें स्वावलंबी नहीं बना सकते हैं। उस दिशा में हमने ये चार प्रोग्राम शुरू किये थे। इनमें से दो तो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वह राइट ट वर्क हो या राइट ट

एजुकेशन हो। आज इस सदन में लोगों के भूख से मरने की बात सुनने को मिलती है कि इस राज्य में, उस राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं। अगर राज्यों में लोग भूख से मर रहे हैं तो केवल इस बात को कहा जाता है। सारी बातें, सारे उत्तरदायित्व को, सारी जिम्मेदारियों को, सारी अपेक्षाएं केंद्र सरकार से ही की जाती हैं। इस पर भी केंद्र सरकार चिंतित है और संवेदनशील है कि अगर कहीं भी आज कोई खाद्यान्न की कमी से मर रहा है, भूखे मरने की बात आती है, कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राज्य अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र सरकार राइट टू फूड सिक्युरिटी एक्ट बनाने पर विचार कर रही है। यह राज्यों को प्रचालित कर दिया है और बहुत शीघ्र उस संबंध में भी केंद्र की कांग्रेस-यूपीए सरकार, देश का कोई भी गरीब खाद्यान्न के अभाव में नहीं मर पायेगा, फैसला करेगी। हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को खाद्यान्न देने के लिए तैयार हैं, हम गावों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं, गरीबी रेखा ने नीचे रहने वाले लोगों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। जो इन योजनाओं में भ्रष्टाचार है, हमें उस पर भी विचार करना होगा। देश की जनसंख्या देखिये, आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारत का है। हमारी कितनी बड़ी आबादी है। हम एक तरफ गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दुर्दशा की बात करते हैं। आज दुनिया में आबादी की दृष्टि में भारत, चाइना से पीछे है। मैं जनसंख्या वाले भाषण का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परसों ही उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में वर्ष 2025 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। विकास के मामले में हम उनसे आगे हों न हों, लकिन आबादी में हम चीन से आगे हो जाएंगे। चाहे कोई भी सरकार में हो, आज हम सरकार में हैं, कल भोला बाबू आप भी सरकार में आ जाएंगे तो भी इस बढ़ती हुई आबादी को योजनाओं का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, न कि राजनैतिक रूप से विचार करना होगा।

महोदया, हमारे देश के 635000 गांवों में आठ सौ मिलियन की आबादी डिफकल्ट कंडीशन में रहती है। 18 से 35 साल के लोग अभी भी बेरोजगार हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत ग्रामीण हैं। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। यह नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार आबादी के कारण जमीन कम होती जा रही है। देश की 80 प्रतिशत आबादी के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। इससे स्वाभाविक है कि जमीन कम होती जा रही है। आने वाले दिनों में परिस्थिति और गंभीर होगी। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1973-74 में ग्रामीण गरीबी बिहार में 62 प्रतिशत थी, वर्ष 1993-94 में 58.21 प्रतिशत थी। मध्य प्रदेश में 40.54 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 47.93 प्रतिशत, उड़ीसा में 49.72 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 42.28 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 40.80 प्रतिशत है। मैं इस पूरे चार्ट को पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन देश के सभी राज्यों में इतनी योजनाओं को चलाने के बाद भी यदि गरीबी है तो हमें विचार करना होगा कि गरीबों तक योजनाओं का लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। इस पर विचार करने के लिए यह संकल्प बहुत अच्छा है। इसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस संकल्प को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस संकल्प को केवल केन्द्र सरकार पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आइए, हम सब लोग उठें, राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठें और केन्द्र-राज्य मिलकर नरेगा, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी आदि योजनाओं पर आने वाले दिनों में सम्यक रूप से मिलें और हम यह संकल्प लें कि देश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भारत माता पर अभिशाप हैं, कलंक हैं और इस कलंक को मिटाने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि एक साथ प्रतिबद्ध होकर इसको करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा 21 अप्रैल 2010 को पेश किए गए संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, हमने डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह और हुक्म देव नारायण यादव जी को सुना और सुनते-सुनते मन भावुक हो गया। दिल की गहराइयों तक छूने वाली बातें थीं। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, जिस पर हम लोग बहस करें। उन्होंने बड़ा अवलोकन और बहुत मार्मिक उल्लेख किया। डॉ. रघुवंश प्रसाद जी ने इसमें चार बिन्दु रखे हैं। खास कर हमारे देश के सामने जो मुख्य समस्या है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उनका हम कैसे चयन करें। यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और पूरा सदन, पक्ष एवं विपक्ष दोनों, जब से यूपीए टू की सरकार आई है, 15वीं लोक सभा का गठन हुआ है, विभिन्न अवसर पर हमने बहस की है। खास कर इन्हीं गरीब लोगों के लिए और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए हमने चर्चा की है। आज भी सदन इस बात की चिन्ता कर रहा है कि ऐसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार का हम कैसे चयन करें और उनकी माली हालत, दुर्दशा पर कैसे यह सदन, सरकार दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर बात करे। जैसे अभी जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि उनकी गरीबी गुरबत को देखते हुए उन्हे कैसे निजात दिला सकें, इस बात की पूरा सदन चिन्ता कर रहा है।

16.56 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि सन् 2000 में संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में 189 देश थे और सन् 2015 तक इन देशों ने वहां पर उन आठ बिन्दुओं पर संकल्प लिया था। जिसमें पहला बिन्दु यह था कि अत्यधिक गरीबी और भखमरी का अंत परे विश्व से कैसे दर किया जाए, इस बात पर वहां संकल्प लेकर सभी देश आए थे। मेरे ख्याल से

केवल अब पांच वर्ष शेष रह गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस देश से गरीबी दूर होगी या जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई जादुई छड़ी या वृहद कार्यक्रम योजना लागू करके हम उनके जीवन को बदल सकते हैं, मेरे ख्याल से यह असंभव सी बात लग रही है। मुझे अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात याद आ रही है। उन्होंने एक नारा दिया था कि इस देश से गरीबी दूर की जाए। उस परिप्रेक्ष्य और विषय में उन्होंने जितना हो सका, उतना किया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी, विरासत के लिए वे छोड़ गई थीं। इस सदन को भी एक जिम्मेदारी दे गई थी, ऐसे बीपीएल परिवार के विषय में आज हम यहां चिन्ता एवं बहस कर रहे हैं, उसे हमें पूरा करना है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो पता चलेगा कि सन्

1990 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे 54 प्रतिशत लोग जीवनयापन कर रहे थे। सरकार का लक्ष्य है कि यह सन् 2015 तक घट कर 21 प्रतिशत रह जाएगी। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पूरे देश में 8.07 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। अगर औसतन लिया जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या एक परिवार में पांच लोगों की होती है, मेरे ख्याल से 40.35 करोड़ के करीब इस देश में हैं। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में 37 से 40 प्रतिशत, अभिजीत सेन गुप्ता की रिपोर्ट में 77 प्रतिशत और ऑक्सफोर्ड की नवीन एमआईटी रिपोर्ट में कहा गया है 55.4 प्रतिशत और सक्सेना कमेटी ने भी 50 प्रतिशत कहा। मेरे ख्याल से भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों लोगों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत के बीच में है, जो इस रिपोर्ट में आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी पुरानी जनगणना में 18 करोड़ की थी और अब मेरे ख्याल से 20 करोड़ हो गई होगी।

17.00 hrs.

सभापति जी, विश्व में जितने गरीब लोग हैं, उसके 21 प्रतिशत लोग केवल उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और ऐसे में सरकार द्वारा प्रस्तुत दावे कितने खोखले हैं, यह हम लोगों ने समय-समय पर देखा है। केन्द्र, राज्य सरकारों पर और राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप करती रहती हैं और इस बीच में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति पिसता है। वह सैंडविच बन जाता है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा। हमारा संविधान भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने का हक प्रदान करता है और राज्यों का भी यह धर्म होता है कि सभी नागिरकों को कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वे मिल सकें और राज्य सरकारों को अपने नागरिकों को उन सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए। इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, कितना हम कर रहे हैं, यह बात हम खुद यदि आत्मावलोकन करें, तो मेरे ख्याल से सही तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी।

सभापति महोदय, अब हम आजादी का 63वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। इन 63 वर्षों में यदि ग्रामीण स्तर पर लोगों को देखा जाए, तो स्थिति खराब है। नए परिसीमन के अनुसार मेरा संसदीय क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र ही है। आज भी बुंदेलखंड में, हमारे कौशाम्बी और इलाहाबाद क्षेत्र में देखें, तो बारिश से पहले, जब बारिश नहीं हुई थी, तब वहां कम से कम एक-एक किलोमीटर और 800-800 मीटर जमीनें फट गई थीं और उनकी चौड़ाई भी एक, डेढ़, दो और कहीं-कहीं ढाई मीटर तक थी। आज प्रकृति भी अपना करिश्मा दिखा रही है। यहां हमारे श्री प्रदीप जैन, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार बैठे हैं। वे बुंदेलखंड से आते हैं। वहां आज भी दो बूंद पानी के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूर का सफर करना पड़ता है। वहां तो जानवरों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए।

महोदय, मैं अभी मध्य प्रदेश के महोबा साइड एरिया में गया था। वहां देखा कि एक झील थी, वहां गांव के लोग आज भी दो-ढाई किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए उस झील पर जाते हैं। उस गांव की महिलाएं वहां आती हैं और उस झील से पानी ले जाती हैं। घर ले जाकर उसे उबालती हैं और उसी को पीती हैं। जब वे उस पानी को पीती हैं, तो उनके जानवर कहां पानी पीते होंगे, इसका अनुमान आप स्वयं लगा लीजिए।

महोदय, जहां तक इलाज की बात है, यह विषय हमारे संविधान की मुख्यधारा में है, लेकिन आज भी 20-25 किलोमीटर दूरी तय कर के लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. हैं, उनकी क्या हालत है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इलाहाबाद में स्वरूप रानी मैडीकल कॉलेज है। वह बहुत पुराना है। अब तो वह शायद केन्द्र सरकार के अधीन आ गया है। आज स्थिति यह है कि यदि वहां गरीब आदमी जाता है, तो वह इलाज नहीं करा पाता है। वह इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार नहीं दे रही है और केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब हमारे पास आते हैं, तो हमें उन लोगों को उनके इलाज के लिए 500 या 1000 रुपए देने पड़ते हैं। हम लोग अपनी जितनी हैसियत होती है, उसके अनुसार उन्हें इलाज कराने के लिए रुपए देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे संसदीय क्षेत्र की एक विधान सभा के सम्मानित विधान सभा सदस्य, आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया जी को, जिन्होंने मैडीकल कॉलेज के अंदर एक दुकान खुलवाई, जिसका नाम- सुशीला द्विवेदी मैडीकल स्टोर है। अपने क्षेत्र के गम्भीर बीमारी वाले चाहे जितने लोग आएं, उन्हें मैडीकल कॉलेज में एडमिट करा के फ्री दवाएं वहां से देते हैं। यह भावना होनी चाहिए। अगर ईश्वर किसी व्यक्ति को कुछ दे, तो उसे इसी प्रकार गरीबों की मदद करनी चाहिए। वहां आज भी यह स्थिति है।

सभापति महोदय, जहां तक स्कूलों की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लड़कियों की शिक्षा की समस्या ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम लड़कियों की एजूकेशन के लिए स्कूल नहीं खोल पाए हैं। सरकार योजना बनाती है-कस्तूरबा

गांधी बालिका इंटर कॉलेज और न जाने क्या-क्या, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल बहुत कम हैं।

एक-एक जिले में अगर एक-एक स्कूल आपने दे दिया तो उससे काम नहीं चलता। लड़कियां आज भी कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं। अभी जनसंख्या पर हमने चर्चा की तो यहीं पर नाबालिग विवाह के बारे में चर्चा हो रही थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो मुस्लिम भाई हैं, अगर उनकी लड़कियां बहुत मुश्किल से प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल पास कर पाती हैं तो उस परिवार को चिन्ता हो जाती है कि कैसे इस बेटी के हाथ पीले करें, यह स्थिति आ जाती है। इसलिए इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

आज भी हमारे गांव, जो दूर-सुदूर इलाके में हैं, रेलमार्ग और अच्छी-अच्छी सड़कों से बहुत दूर हैं, उनकी कनैक्टिविटी अगर देखी जाये तो स्थिति बहुत ठीक नहीं है। विकास वहीं होता है, जहां पर बड़े लोग रहते हैं, जहां असरदार लोग होते हैं। दूर-सुदूर के ग्रामीण इलाकों की स्थिति देखी जाये तो अगर सड़क एक बार बन गई है तो दोबारा पांच और दस साल के बाद बनती है, जबकि एक-डेढ़ साल में वे सड़कें उखड़ जाती हैं। 5-10 साल के बाद वहां पर सड़कों का नामो-निशान खत्म हो जाता है। हमें कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि निरन्तर हमारा विकास आगे बढ़े और लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

आज भी बिजली की स्थिति यह है कि हजारों गांव-पुरवे हैं, खासकर अनुसूचित जाति के और जो गरीब लोग हैं, जिनकी आबादी को कहीं उत्तर साइड, कहीं दक्षिण साइड, एक कोने में फेंक दिया जाता है, अगर उन्हें आवासीय पट्टा भी दिया जाता है और खेती के लिए जमीनें भी दी जाती हैं तो गांव के दूर-सुदूर इलाके में दी जाती हैं। आज भी उनके पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे गांव हैं, जो बिजली से, विद्युतीकरण से वंचित हैं। आज हम लोग अपनी सांसद निधि से जरूरत पड़ती है तो पैसा देते हैं, लेकिन सांसद निधि की स्थिति क्या है, कल हम लोगों ने यहां उसका जिक्र किया था। मैं आज इस बहस के दौरान भी कहता हूं कि अगर हो सके तो इसको बढ़ा दीजिए, अन्यथा इसको समाप्त कर दीजिए। हम सभी सदस्य इसके लिए तैयार हैं।...(व्यवधान)

आज आप शहरों की मलिन बस्तियों की स्थिति देख लीजिए, जिस संकल्प पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज शहरों की मलिन बस्तियों की स्थिति भी बहुत खराब है। अब जाकर हमारे यहां पर भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना गई है। योजनाएं बन रही हैं, मेरे भी घर के पास इतनी बड़ी उम्र में वहां पर सीवर लाइन पड़ रही है, जबकि सीवर लाइन नगरपालिका एरिया में भी नहीं है। आज उन मलिन बस्तियों में भी वहां पर सीवर लाइन पड़ रही है। आज भी उन गली-कूचों में रहने वाले मलिन बस्तियों की स्थिति बहुत खराब है। वहां न बिजली है, न पानी है, न उनकी गलियों में खड़ंजा है, उनके बच्चे आज भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके घर की औरतें आज भी बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजकर अपना पेट पाल रही हैं, शहरों की स्थिति यह है। नगरपालिका जो शहर के बीच में स्थित हैं, वहां पर यह स्थिति आज है। जिस संकल्प पर हम आज चर्चा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाये तो आज भी 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। अगर देखा जाये तो 47 प्रतिशत बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं, यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अगर शिशु मृत्यु दर को देखा जाये तो 75 प्रति हजार है और मातृत्व मृत्यु दर अगर देखें तो 44 प्रति हजार है, हम लोगों ने बहस में हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तीन बच्चों की स्थिति से हम दो बच्चों की स्थिति पर आये तो देखा गया है कि आज भी वे कुपोषण के शिकार हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, खासकर जो गरीब हैं, जिनके लिए आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा सदन चिन्तित है, आज उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, वे एनीमिक हैं, वे तन्दरुस्त नहीं हैं, क्योंकि उनकी शादियां पहले हो जाती हैं। इस बात की जागरूकता आज भी समाज में नहीं है। हम सब की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम चाहे कहीं भी, किसी भी समारोह में जायें तो इस बात को हमें गम्भीरता से लेना पड़ेगा।

जहां तक देश की विकास दर को बढ़ाने की बात है, यहां पर तमाम चर्चाएं होती हैं। जब बजट पेश होता है तो तमाम चर्चाएं हमने की हैं। देश की विकास दर को बढ़ाने से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। आज यह देखना पड़ेगा कि विकास दर के हाशिए के नीचे जो जीवनयापन करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी कि उनको कितना फायदा हमने दिया है? इस ओर हमें ध्यान देना होगा। हम विकास की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जो भी विकास की नीतियां हैं, उनका हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि विकास के जो कार्यक्रम हैं, उसकी क्या योजनाएं हैं? सरकार अमेंडमेंट बिल लाती है, तमाम कार्यक्रम चलाती है, जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। लेकिन जब हम योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए जिला सतर्कता निगरानी समिति की बैठक में जाते हैं, तो हम लोगों की जो बुकलेट रहती है, वह सिर्फ आंकड़ों में सीमित रह जाती है। हम अगर किसी इलाके के बारे में उनसे पूछते हैं, तो कोई अधिकारी जवाब नहीं दे पाता है। मीटिंग की फार्मेलिटी करके हम वापस आ जाते हैं। हमें इतनी भी पॉवर नहीं दी गयी है कि हम उनसे योजनाएं पूछ लें। हम गाइडलाइन्स पर अगर उनसे बात करते हैं, तो कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आज नौकरशाह हर योजनाओं पर हावी हैं। वह नौकरशाह केवल कागजों पर योजना और आंकड़ा बनाता है। यह देश आंकड़ों से नहीं चलेगा।

महोदय, हमारे देश में बहुत से एनजीओज काम कर रहे हैं। एनजीओज के बारे में कल-परसों ही सदन में चर्चा हुयी। मैंने प्रश्न किया था, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि कोई खास एनजीओ की बात हो तो बताइए। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों के अरबों-खरबों रूपए फर्जी एनजीओज को जा रहे हैं, जो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। अगर उन पर बंदिश लगा दी जाए, तो हुकुमदेव नारायण जी, आप जिस आर्थिक व्यवस्था की बात कह रहे थे, वह उससे पूरी हो सकती है। एनजीओ कौन चला रहे हैं? अगर इसका मूल्यांकन

किया जाए, तो बड़े घर के लोग और जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उनकी बीबियां एनजीओ चला रही हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर जांच करा ली जाए, तो आपके सामने पूरी तस्वीर आएगी कि भारत सरकार का पैसा, इस देश का पैसा कैसे बह रहा है? कैसे 125 घरानों तक वह पैसा पहुंच रहा है, जिसके बारे में कल हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे? यह देखने की आवश्यकता है।

रघुवंश बाबू जी जो बात कह रहे थे, उनमें तीन-चार प्वाइंट सामने आए हैं - शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसके साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति। हुकुम देव बाबू, अगर आज कानून है, तो वह केवल गरीबों के लिए है। अगर थोड़ी-बहुत भी आर.सी. आ जाती है, तो वह गरीब तहसील के लॉक-अप में रहता है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं ऐसे कितने बड़े घराने हैं, लघु उद्योग-धंधे हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रूपए का बिजली का बकाया है, लेकिन वे नहीं पकड़े जाते हैं। आज यह स्थिति है। हमारे यहां जो गरीब, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड या मुस्लिम है, जो छोटा है, सरकार उसी के लिए कानून पर अमल करती है, उसको जेल भेजती है और उस पर मुकदमा चलाने का काम करती है। ...(व्यवधान)

मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। रघुवंश बाबू ने एक बात कही कि व्यावसायिक प्रशिक्षण में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवार के कम से कम एक सदस्य को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए। मैंने इस बारे में पहले भी इस सदन में यह बात कही है कि शिक्षा को जब तक आप रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। शिक्षा को सीधे रोजगार से आपको जोड़ना पड़ेगा। चाहे छात्र हों या छात्रायें, उनके इंट्रेस्ट की बात आपको देखनी पड़ेगी कि उसका इंट्रेस्ट कहां है या किस रोजगार की तरफ है? अगर उस रोजगार की तरफ उन्हें रोजगारोन्मुख बनाएं, जिधर उसका इंट्रेस्ट है, अगर उस दिशा में आप उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था देंगे, तभी उनको रोजगार मिल सकता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी सरकारी नौकरी पा जाएंगे, लेकिन सरकारी, गैर-सरकारी या प्राइवेट कहीं भी वे नौकरी कर सकेंगे। वह कुछ भी रोजगार कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। रघुवंश जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश से लेकर देश की इस सबसे बड़ी पंचायत में भी हम लोगों ने इस बात को कई बार कहा था।

मैं लोक सभा में तीसरी बार चुनकर आया हूं। हमने इस सरकार को बराबर कहा कि गरीब लोगों को प्रशिक्षण देकर सरकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट रोजगार देने की व्यवस्था कीजिए। शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार दीजिए। यदि उन्हें रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में सब शिक्षित बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार सत्ता में नहीं आई। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती तो उन बेरोजगार लोगों को और रोजगार मिलता। कन्या विद्या धन चलाया गया था। गरीब लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती थीं, उनके लिए 20 हजार रुपये कन्या विद्या धन देने की बात हमारी सरकार में हुई थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिए थे। मैं वही बात केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि वह भी कम से कम इस ओर ध्यान दे। भूरिया जी, आप आदिवासी जनजाति मंत्री हैं। हम ट्राइबल एरिया में गए। वहां भी स्थिति बहुत खराब है। उन्हें भी पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें। एक संस्था है। हर मतदाता को हर महीने 1750 रुपये देने की व्यवस्था कीजिए। हम उस आन्दोलन से जुड़े हैं। उसमें 110 के करीब सांसदों ने साइन किए हैं। रघुवंश बाबू ने अपने संकल्प में व्यवस्था रखी है कि हर परिवार को कम से कम तीन हजार रुपये प्रति माह दिए जाएं। मेरे ख्याल से आज की महंगाई के समय में तीन हजार रुपये बहुत कम हैं। यदि ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं तो आप हर मतदाता को 1750 रुपये दे दीजिए। रुपये की व्यवस्था हो सकती है। आप पूछेंगे कि तीन हजार रुपये और 1750 रुपये कहां से आते हैं। इसी सरकार ने कहा था कि स्विस बैंक में जो धन है, उसे हम वापिस लाएंगे। यदि वह धन और बड़े-बड़े घरानों से रिकवरी हो जाए, तो मेरे ख्याल से धन की व्यवस्था बड़े आराम से हो सकती है।

भ्रष्टाचार की बात कही गई है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक इतना जबरदस्त है कि उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम सब चर्चा कर लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा नहीं की। आज आपने शून्य काल में पूरे सदन द्वारा कामन वैल्थ गेम्स का उदाहरण देखा। पूरे खजाने की लूट मची है। जितना लूट सके लूट, आज हमारे देश में यह स्थिति है।

रघुवंश बाबू ने इस संकल्प में एक प्वाइंट और रखा है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जो बच्चे हैं, हम शिक्षा का अधिकार विधेयक लाए हैं। जगदम्बिका पाल द्वारा बात कही गई कि राज्य केन्द्र पर और केन्द्र राज्य पर थोपता है। उसे जाने दीजिए, शिक्षा का अधिकार है। लेकिन मैं इस संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि कम से कम बीपीएल को चिन्हित कर लीजिए, चाहे तेंदुलकर रिपोर्ट हो, गुप्ता रिपोर्ट हो, योजना आयोग की रिपोर्ट हो, सरकार की रिपोर्ट हो, सब आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि 50-60 प्रतिशत के बीच बीपीएल लोग हैं। उनके बच्चे प्राइमरी से लेकर जब तक पढ़ें, व्यावसायिक शिक्षा तक की व्यवस्था आपको निशुल्क देनी पड़ेगी, तभी हम डा. रघुवंश प्रसाद जी द्वारा लाए गए संकल्प को पूरा कर सकते हैं और सभी सदस्यों की मंशा पूरी हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आपने मुझे डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा लाए गए संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हं। मैं सम्मानित सदस्यों की बात सुन रहा था। डा. रघुवंश प्रसाद जी, माननीय हुक्मदेव

नारायण यादव जी, शैलेन्द्र जी बोल रहे थे और आगे और वक्ता भी अपनी बात रखेंगे। इस देश में जो गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी है, उस बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की और तमाम महापुरुषों का जिक्र भी आया। चाहे वह महात्मा बुद्ध, नारायणा गुरू, आचार्य नरेन्द्र, लोहिया जी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर या कांशी राम रहे हों, ऐसे तमाम महापुरुष इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी चाहे वह अमीरी-गरीबी की हो या किसी भी तरह की हो, इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज इस संकल्प के माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए चर्चा हो रही है। इस देश में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस देश में तमाम ऐसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने संविधान में सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं दीं। आज सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर किये बगैर हम इस देश से गरीबी को कभी मिटा नहीं सकते। अगर गरीबी को मिटाना है, तो हमें सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करना होगा, जिसके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगा दी।

महोदय, मैं शैक्षिक गैर-बराबरी के बारे में कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के दस्तावेज में इस बात का समावेश किया कि 14 साल तक के तमाम बच्चों को नःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। लेकिन कई दशकों के बाद इसे देश में लागू करने का मौका मिला। आज गरीबी पर चर्चा हो रही है। इस देश में बिलो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनका वर्ष 2002 में सर्वे हुआ था। तमाम प्रदेशों को जो लक्ष्य निर्धारित किया और तमाम प्रदेशों से बार-बार भारत सरकार को पत्र आते रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन जो संख्या है, उसका सही तरीके से आकलन किया जाये। इसके लिए योजना आयोग ने कई आयोगों का गठन किया, चाहे वह तेंदुलकर कमीशन हो या सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट हो। आज तक भारत सरकार इस देश में गरीबों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा पायी। इसलिए जब तक हम इस देश में गरीबों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा सकते तब तक हम जो बजट बनाते हैं, उसका हित मुझे समझ में नहीं आता। उन गरीबों की बेहतरी के लिए हम बजट में कैसे प्रावधान करेंगे? इस देश में 70 फीसदी से ज्यादा किसान, मजदूर और बुनकर नौजवान हैं। आजादी के 63 सालों में कई बार इस देश की पार्लियामैंट में यह चर्चा हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि आजादी से लेकर अब तक प्रदेश और देश की सरकारों में हमारे तमाम लोग आये और गये, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस पार्टी की है, जिसने सबसे ज्यादा दिनों तक इस देश में शासन किया है। अब नीतियों तो तमाम बनती रहती हैं, लेकिन ईमानदारी से उसे लागू नहीं किया जाता। इसलिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि नीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं है, तो हम कभी भी गरीबों के हित में उस नीति को नहीं ले जा सकते। इसलिए हमारी नीति चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक हम गरीबी को दूर नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि जब से मुल्क आजाद हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था इस मुल्क में कायम हुई, इस देश में वह जमाना भी रहा जब कुछ चंद-चालाक लोग इस मुल्क की सियासत के मालिक थे।

लेकिन देश में ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने गरीबों की बात सामने रखी। जब तक गरीब को भागीदारी का मौका नहीं मिलेगा, वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट के माध्यम से शासन-प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक गरीब अपने हित में कानून नहीं बना सकता है। कितने लोग हैं इस देश की पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट जो देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है? इस देश की पार्लियामेंट में गांव के गरीब की बेहतरी के लिए कानून बनते हैं। आज उनकी संख्या कितनी है? अगर अब तक की सरकारों की नीयत साफ होती, तो मैं समझता हूं कि आज इस संकल्प पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती।

माननीय हुक्मदेव नारायण जी गरीब और किसान की चर्चा कर रहे थे, वह सम्मानित सदस्य हैं, इन्होंने गरीबों की पीड़ा को पहचाना है। जब वह चर्चा कर रहे थे, मैं समझता हूं कि सुनने वाले लोगों के मानस-पटल पर वह चित्र घूम गया होगा। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे गरीब परिवार से ताल्लुक न रखते हों, लेकिन उन्होंने देखा जरूर होगा कि गांव में कैसी गरीबी, बेरोजगारी और लाचारी है। आज भी गांव में गरीब लोग जिनके बारे में चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, माताएं हैं जिन्हें जाड़े के दिनों में तोशक और रजाई नसीब नहीं हो पाती है। अगर गांवों में पुआल न पैदा हो, तो उनकी जाड़े की रात न कट पाए। आजादी के इतने दिन बाद भी उन्हें जाड़े में ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल पाती है। वे गुदड़ी और चटाई ओढ़कर जाड़े में रात काटते हैं। तकलीफ तब होती है, जब हम यह देखते हैं कि इस देश के गांव में रहने वाली गरीब मां पुआल पर गुदड़ी बिछाकर सोती है, उसका 6 महीने का बेटा उसकी गोद में सोता है। जाड़े के दिनों में अगर कोई किसी को गीले हाथ से छू दे तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिस गुदड़ी पर उस मां का छोटा सा बेटा सोता है, उस गरीब मां के पास दूसरी गुदड़ी नहीं होती है बदलने के लिए, मां को अपने बेटे से ममता होती है इसलिए मां खुद भीगे हुए बिस्तर पर सो जाती है और अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटा देती है कि भीगे हुए बिस्तर पर सोने से उसे बुखार हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि बड़ा होकर यही बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या कभी उस गरीब मां की चर्चा हुई इस देश की पार्लियामेंट में? उसकी बेहतरी और विकास के लिए क्या कभी सरकारों ने सही तरीके से कार्यक्रम बनाया?

जिस सामाजिक गैर-बराबरी की चर्चा इस पार्लियामेंट में हो रही है, आज भी देश में रहने वाले ऐसे गरीब लोग हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, पिछड़े हों या माइनॉरिटीज के हों या किसी समाज के रहने वाले लोग हों, आजादी के 63 वर्षों बाद भी, इसके पिछले कई वर्षो में हमं 20वीं सदी के आखिरी सोपान पर खड़े होकर हम 21वीं सदी का सपना देख रहे थे, यह बहुत दुख और विडम्बना की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी हमारे बराबर में बैठने की इजाजत नहीं है। आज भी देश में बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं, जिन्हें मैं समझता हूं कि यहां बैठे माननीय सदस्य जानते होंगे। उनमें से मुसहर वह समाज है, जो पत्तल बनाता है, जिसके बनाए हुए पत्तलों में हम अपने कार्यक्रमों में खाना खाते हैं, लेकिन मुसहर के बेटे को हमारी कतार में बैठने की इजाजत नहीं है। जब पत्तल में खाने के बाद बचे हुए रोटी के टकड़े को हम फेंकते हैं, उस रोटी के टकड़े को लेने

के लिए जहां कुत्ता दौड़ता है, वहीं उस टुकड़े को लेने के उस मुसहर का बेटा भी दौड़ता है, तो इंसान और जानवर में फर्क कहां है? आज हम गरीबी को दूर करने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केवल आंकड़ों के मकड़जाल में फंसने और फंसाने की बजाए सही नीति और सही नीयत के माध्यम से हम गरीबी, लाचारी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो कुशल कारीगर हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं। मैं जहां से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र में बुनकर काफी संख्या में रहते हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for discussion on this Resolution is over and I have a list of about 12 more Members to speak. If the House agrees, I will give one more hour for this discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: We agree.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, आज तमाम ऐसे गरीब लोग, जो किसान हैं, बुनकर हैं, परेशानी की हालत में हैं। इसके लिए वे लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं जो नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों को कार्यरूप देने वाले जो लोग हैं, वे सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। देश की आजादी के बाद से आज तक कई बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि गरीबी तो नहीं हटा पाए, बल्कि गरीबों को हटाने की साज़िश हो रही है।

अभी शैलेन्द्र जी उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे थे। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं और वह देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। उस सूबे में तमाम ऐसे महापुरूष पैदा हुए, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी प्रदेश से करीब आधा दर्जन प्रधान मंत्री भी पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी वह प्रदेश आज तक सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है और पिछड़ा हुआ माना जाता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। कहा जाता था कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर जाता है, लेकिन आज वह प्रदेश उपेक्षित है।

मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, जिसकी मुखिया बहन मायावती जी हैं। आज हम राष्ट्र मंडल खेलों में हुई अनियमितताओं की चर्चा कर रहे थे और हमने पहले भी इस पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं गरीबी पर चर्चा करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। वहां की सरकार ने कई बार केन्द्र सरकार से कहा कि आप बीपीएल सूची को बढ़ाएं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हूं कि सूची नहीं बढ़ाए जाने के बावजूद उसने ऐसे 30 लाख लोगों को चिन्हित किया है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं और बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकते हैं। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार ने ऐसे परेशान और गरीब लोगों को 300 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था की है।

परसों सदन में जनगणना पर हुई चर्चा के दौरान हमने बालिकाओं और कन्या भ्रूण हत्या पर भी चर्चा की थी। उसमें यह कहा गया था कि लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। ऐसी गरीब बच्चियां, जिनके माता-पिता दिन भर मजदूरी करने के बावजूद भी उन्हें पढ़ा नहीं सकते, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्हें दो वक्त का खाना नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी तमाम गरीब बच्चियों को दसवीं और बारहवीं क्लास में जाने पर 10,000 और 15,000 रुपए देने का निर्णय किया है। इसके अलावा स्कूल आने-जाने के लिए उनके लिए साइकिल की भी व्यवस्था की है। अगर गरीब की बेटी इंटर कर ले या उससे अधिक पढ़ ले तो उच्च शिक्षा ग्रहण करके वह शादी के लिए एक तरह से काबिल हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई लड़के वाले माता-पिता अपने बच्चे की शादी के लिए आते हैं तो लड़की के घरवालों से यही सवाल किया जाता है कि क्या आपकी बेटी पढ़ी-लिखी है या नहीं। अगर आपने कहा कि बेटी पढ़ी है तब शादी की बात आगे चलती है, अगर कह दिया कि बेटी पढ़ी-लिखी नहीं है तो शादी की बात वहीं रुक जाती है। आज अगर गरीब की बेटी पढ़-लिख जाएगी तो आगे मास्टर-डाक्टर बनकर अपनी बेहतरी के लिए काम करेगी और अच्छे घर में उसकी शादी होगी - ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है।

संसद के दोनों सदनों में भ्रूण-हत्या की चर्चा कई बार हुई है लेकिन कोई ठोस काम इस पर नहीं किया गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे, उनके जमाने से इस पर चर्चा हो रही है, मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बेटी-बेटा एक समान का नारा तो हम पूरे देश में सुनते हैं, पखवाड़े मनाये जाते हैं लेकिन ईमानदारी से अगर कुछ किया गया है तो वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगर जिस दिन बेटी पैदा होगी, सरकारी खजाने से इतना पैसा जमा होगा कि 18 साल के बाद जब बेटी बड़ी होगी, तो उसके बूढ़े बाप को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरुरत नहीं होगी, बल्कि उसके हाथ में एक लाख रुपये का चैक दिया जाएगा, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए - यह हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, जब शहरी गरीबों की चर्चा हो रही थी कि उनके पास आवास नहीं है, हमारी सरकार ने माननीय कांशी राम जी के नाम पर, जिन्होंने पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन के लिए लगा दिया, कांशी राम शहरी आवास योजना, केवल कहने के लिए नहीं, मनोबल को गिराने के लिए नहीं कि 20 हजार रुपये दे रहे हैं बल्कि 1 लाख 75 हजार रुपये, दो कमरे का मकान, लैटरिंग-बाथरुम और किचन के साथ हमारी सरकार ने देने का काम किया है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार संवेदनशील है और गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है। अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे बेरोजगारी के नाम पर लोगों को बहकाती रही हों, लेकिन हमारी सरकार लोगों को नौकरी देकर स्वावलम्बी बनाना चाहती है। हमारी सरकार ने 1 लाख 9 हजार नौकरियां लोगों को एक साथ दी हैं।

अभी सिपाहियों की भर्ती हुई है। आप जानते ही होंगे कि हमारे से पहले जो सरकार थी उसने भी सिपाहियों की भर्ती की थी, सारी दुनिया जान गयी थी कि कितना भ्रष्टाचार था, कहां से लिस्ट जाती थी। आज इस तरह की बात कोई नहीं कह सकता है। मैं तो देश के गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती में पारदर्शिता हुई, उसी तरह से दूसरी फोर्सेज में भी भर्ती होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांगों की मजदूरी हो, उसे दुगुना करने का काम किया है। शादी अनुदान जो 10 हजार मिलता था, उसे बीस हजार किया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस इंदिरा आवास योजना के नाम पर पूरे प्रदेश में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जब उनकी संख्या कम हो गयी तो महामाया आवास योजना के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम गरीबों को चिन्हित करके, उनको आवास देने का काम किया। गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, उनकी मां महामाया के नाम पर इस आवास योजना का नाम दिया गया है।

आज उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए चिंतित है, संवेदनशील है। हमारे साथी बिजली की बात कह रहे थे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत जो टार्गेट फिक्स किए गए हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हैं, केवल रायबरेली और सुल्तानपुर को 452 करोड़ रुपए दिए गए, बाकी 137000 जो मझरे गांव हैं, उनके लिए आज भी भारत की सरकार ने एक भी पैसा देने का काम नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार होना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

MR. CHAIRMAN: Please wind up now.

श्री दारा सिंह चौहान : क्या रायबरेली और सुल्तानपुर के अलावा कहीं गरीब नहीं हैं। सही बात कहने पर आपको तकलीफ हो रही है।...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत पैसा दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। पूरे प्रदेश को पैसा दिया है और ये सिर्फ दो जिलों की बात कह रहे हैं।

श्री दारा सिंह चौहान : अगर आपने पक्षपात नहीं किया होता, तो आज देश में जो गैर-बराबरी है, वह खत्म हो जाती।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I will call the next speaker.

...(*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आपने क्या दिया है?...(व्यवधान)

MR.CHAIRMAN: I gave you enough time to speak. I told you to address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, मैं पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो इस संकल्प के प्रति बहुत गंभीर हैं। इस पर बल देते हुए कि आने वाले समय में इस विषय पर विस्तार से गंभीरता के साथ चर्चा होगी। नीयत अगर निश्चित रूप से साफ होगी, तो आप जो नीति बनाएंगे, उसे अगर ईमानदारी से लागू करेंगे और सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी को दूर करने के लिए ईमानदारी से कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम इसे खत्म कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, यह संकल्प बहुत ही सामयिक है और प्रासंगिक भी है, क्योंकि आज पूरे देश में गरीबों की पहचान और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के निर्धारण के बारे में मैथ्डोलोजी अपनाने के बारे में विरोधाभास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग में ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे समय में इस संकल्प को लाने के लिए डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें अभिरुचि दिखाई है। संकल्प पेश करते हुए विस्तार में डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने चर्चा की, गरीबी का विश्लेषण किया। गरीबों की पहचान करने के मामले में अब तक जो त्रुटियां रहीं, कोई प्रामाणिक मानक अब तक निर्धारित नहीं हो पाया है। उसका भी उल्लेख किया है। पुराने समाजवादी नेता जिनके नेतृत्व में विदयार्थी जीवन में हम भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री हक्म देव नारायण

यादव जी ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण और चित्रण करके मुख्य रूप से बताया है कि गरीबी मिटाने में साधन की उपलब्धता के मामले में कोई दिक्कत नहीं है।

सरकार कहती है कि साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कब तक हम गरीबी मिटाएंगे। 2020 का विजन आया है। 2015 की चर्चा हुई है लेकिन सिर्फ यही नही है कि गरीबी मिटाने के लिए साधन चाहिए। यह भी है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग इस देश में हैं, यह सबसे बड़ा आज सवाल है और सरकार इस पर एकमत नहीं हो पा रही है। योजना आयोग और ग्रामीण विकास विभाग के मामले पर सरकार एकमत नहीं हो पा रही है।

महोदय, मैं साधन पर चर्चा करूंगा। स्थिति बहुत विस्फोटक है और विस्फोटक स्थिति यह है कि अब तक कई कमेटियां बनीं। सबसे पहली कमेटी लाखड़ावाला साहब की बनी जिन्होंने कैलोरी पर मानक तय किया। उसके बाद दो और कमेटी बीच में बनीं। सेन गुप्ता साहब और सक्सेना साहब की बनी। अंत में, सरकार ने 2005 में श्री सुरेश तेंदुलकर की कमेटी बिठाई जिन्होंने पहले के जो मानक थे, उनको खारिज किया और अभी तक जो इंडीकेटर आया है, गरीबों की पहचान करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए एक तो पॉवर्टी हैड काउंट रेशियो है, इसे भी सरकार ने अपनाया। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरिएड, यूआरपी को भी सरकार ने अपनाया और एमआरपी यानी मिक्स्ड रिकॉल पीरिएड, इसे भी सरकार ने अपनाया। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि अफ्रीका के सब-सहारन अफ्रीकन कुछ देश ऐसे हैं, जिनसे भी हिन्दुस्तान की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। यह पहली सितम्बर 2008 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और उसमें क्या कहा गया है:-

> "Despite sustained high GDP growth in India latest estimates of growth in poverty by World Bank suggest that India has more people living below US dollar 2 than even sub-Saharan Africa. These new figures would compel political leaders and policy makers to devise fresh strategy to reduce poverty."

यह वर्ल्ड बैंक ने कहा है और आगे क्या कहा है:-

> "None other than the World Bank has busted the hype about India's post-liberalisation success. According to the Banks new estimates not only India is home to roughly one-third of all poor people in the world. It also has a higher proportion of its population living on less than $2 per day than even sub-Saharan Africa."

चेतावनी दी है कि गरीबों की पहचान करने के मामले में और गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग हैं, उनका निर्धारण करने के मामले में और उसका उपाय करने के लिए कारगर कदम भारत सरकार उठाए। यह वर्ल्ड बैंक ने कहा है और आगे क्या कहा है:-

> "Compared with the India's 828 million people or 75.6 per cent of the population living below US dollar 2 a day, sub-Saharan Africa considered the world's poorest region ranks better with 72.2 per cent of its population about 551 million people below US dollar 2 a day level."

यह तुलनात्मक सर्वेक्षण किया है। इथोपिया है, तंजानिया है, ऐसे देशों के बारे में हम लोग जानते हैं कि अफ्रीकन देश है। वहां भुखमरी है। वहां भुखमरी से मृत्यु होती है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन आगे और क्या कहा है। यूएनडीपी तथा वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां सिर्फ 42 करोड़ लोग जो भारत सरकार का मानक है और जो कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार 42 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। 1.25 यूएसडॉलर पर-डे पर रहता है। 2.0 नहीं 1.25 डॉलर रहता है। ऐसे राज्य, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हैं, इनके बारे में तेंदुलकर कमेटी ने कहा है कि योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहुत विरोधाभास है। सरकार ने 25 फरवरी, 2010 को राज्यसभा में स्वयं गरीबों के आकलन के बारे में उत्तर दिया है - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान योजना आयोग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लगाया जाता है। अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार की पहचान करने के लिए बीपीएल जनगणना कराता है। इसके साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे परिवारों की कुल संख्या योजना आयोग के अनुमान के समरूप हो। इसका मतलब है योजना आयोग रूरल और अर्बन, दोनों का सर्वे कराता है जबकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ रूरल का सर्वे कराता है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से यह अपेक्षा की जाती है कि योजना आयोग का आंकड़ा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आंकड़े के समरूप हो, उससे अलग नहीं हो। यह रिपोर्ट सरकार के अध्यधीन है, सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है कि इसे लागू करें या नहीं। तेंदुलकर कमेटी ने 37.2 प्रतिशत कहा है। इससे पहले योजना आयोग ने कहा था - राष्ट्रीय स्तर पर बिलो पावर्टी 27 परसेंट लोग रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशत इस प्रकार से है - 54.4 प्रतिशत बिहार, 49 प्रतिशत छत्तीसगढ़, 45 प्रतिशत झारखंड, 48 प्रतिशत मध्य प्रदेश, 57.2 प्रतिशत उड़ीसा, 40 प्रतिशत त्रिपुरा, 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश। नेशनल एवरेज से जिन राज्यों का प्रतिशत ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आठ राज्यों का 42 करोड़, इस तरह से करीब मिलता जुलता है। लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई नीति नहीं बनाई है। इस समीक्षा को, इस रिपोर्ट को अभी तक एडॉप्ट नहीं किया है। लक्कड़वाला कमेटी से लेकर अभी तक यात्रा चल रही है लेकिन एक या डेढ़ परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब से भी गरीबी नहीं मिट रही है। गरीबी से ज्यादा पापुलेशन बढ़ रही है। गरीबी रेखा से नीचे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब सरकार कह सकती है कि हम साधन कहां से लाएंगे? अभी हुक्मदेव जी ने 14 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया था। शैलेन्द्र जी ने स्विस बैंक की चर्चा की थी कि स्विस

बैंक में बहुत पैसा लगा हुआ है। कई वर्षों से हल्ला हो रहा है कि स्विस बैंक से पैसा निकालो। आप देश के बड़े घरानों, उद्योगपतियों और इजारेदारों को हर प्रकार की छूट देते हैं, जैसे 14 लाख करोड़ चला गया है। तीसरा स्रोत है और इस देश में जीडीपी का बहुत हल्ला है। विकास दर की प्राप्ति होती है, बाहर से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बरस रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। यह पैसा गरीबों के घर में नहीं जाता है। लेकिन कुछ बड़े लोग पैदा हो रहे हैं जिनके खर्च पर कोई सीमा नहीं है। इस देश के उद्योगपति 8000 करोड़ रुपए से मकान बनाते हैं ताकि उस पर हैलीकॉप्टर लैंड कर सकें और वे अपनी पत्नी को तोहफा दें। इस पर कोई सीमा नहीं है। आप आमदनी पर टैक्स लेते हैं। हम चाहते हैं कि खर्च पर सीमा बांधी जाए तो कई लाख करोड़ रुपए का उपार्जन होगा, सरकारी खजाने में जाएगा। आप खर्च पर सीमा बांधिए। डॉ. लोहिया के बारे में हुक्मदेव जी ने कोट किया है। मैं भी उस स्कूल का विद्यार्थी हूं। हमारे रघुवंश बाबू समाजवादी आंदोलन के नेता रहे हैं, उन्होंने भी कोट किया है। लेकिन डा.लोहिया एक अर्थशास्त्री भी थे और इस देश में सबसे पहले महात्मा गांधी से आजादी के बाद जिस पीढ़ी के लोगों का परिचय कराया गया, उसमें हमारी पीढ़ी के लोग हैं और हमने यह समझा कि मार्क्स से भी बड़ा क्रंतिकारी यदि कोई इस देश में था तो वह महात्मा गांधी थे। डा. लोहिया ने कहा कि खर्च पर सीमा बांधो, तभी देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी और संभव गैरबराबरी की बात उन्होंने कही - अगर बराबरी संभव नहीं है, पूर्णरूपेण बराबरी नहीं होगी तो संभव बराबरी तब होगी, इस देश में जो दौलत पैदा हो रही है, जिसे लोग खर्चा करते हैं, जिस पर कोई सीमा नहीं है, उस खर्चे पर सीमा बांधो। जब यह पैसा आयेगा तो गरीबी मिटेगी।

आपने राइट टू एजूकेशन बिल पास किया है। कहा गया कि इस पर बहुत पैसा खर्चा होगा, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होंगे। आपने राज्य सरकारों पर अपना जिम्मा डाल दिया है। इसी सदन में बिल पर मानव संसाधन मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह इसीलिए कम्पलसरी है। तब हमने कहा कि हम लोग जीवन भर समाजवादी आंदोलन में लड़ते रहे हैं कि मौलिक अधिकार में रोजगार शामिल करो, मौलिक अधिकार में हमारी शिक्षा को शामिल करो। यदि मौलिक अधिकार का सरकार अनुपालन नहीं करेगी तो कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला है। जब यह बात कही गई तो कहा गया कि यह राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। राज्य सरकार अपने यहां शिक्षा को सुनिश्चित करे और राइट टू एजूकेशन बिल जो पास होगा, उसे वह लागू करे। यह मंत्री जी ने उत्तर में कहा था। राइट टू एजूकेशन में जो पैसा खर्च होने जा रहा है, वह पैसा गरीबी मिटाने में नहीं जा रहा है। आप प्रत्येक परिवार के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह की बात कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं। अभी तक गरीबों की पहचान नहीं हो सकी है। इसमें विरोधाभास है। बिहार सरकार ने कहा कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह जो हम कह रहे हैं, वही अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है और यूएनडीपी में जो रिपोर्ट आई है, उसमें आठ राज्यों को बताया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री और बिहार सरकार ने जो कहा है, वह सत्यापित होता है, प्रमाणित होता है। हर राज्य में यह समस्या है। आप गरीबों की पहचान क्यों नहीं कराना चाहते हैं। आप इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि गरीबी मिटाने के नाम पर आपको जो-जो उपाय करने पड़ेंगे, आप उन उपायों से बचना चाहते हैं। आप बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। जबकि गरीबी मिटाना आपका नारा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिस उद्देश्य से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था - कोऑपरेटिव कॉमनवैल्थ एंड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस देश में लाई जाए। उस रास्ते से आज आप भटक गये हैं।

सभापति महोदय, यहां संकल्प तो आया है, मैं चाहता हूं कि डा.रघुवंश बाबू के इस संकल्प से, श्री हुक्मदेव नारायण यादव के भाषण से सरकार को सद्बुद्धि आये, सरकार इस संकल्प को मान ले और संकल्प को मानकर गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों की पहचान करने के मामले में जो तीन साधन हमने बतायें हैं, संसाधन जुटाने के मामले में सरकार को सद्बुद्धि आये और सरकार इस ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, जो डा. रघुवंश प्रसाद यादव जी के...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : वह यादव जी नहीं, सिंह हैं।

श्रीमती भावना पाटील गवली : उन्होंने पेस्ट किया हुआ है।

श्री मंगनी लाल मंडल : रघुवंशी हैं, यदुवंशी नहीं हैं। लेकिन वह लोहियावंशी हैं।

श्रीमती भावना पाटील गवली : मैं यहां जो बैठी हूं, सारे सिंह और यादव लोगों के बीच में बैठी हूं। सब लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र ...(व्यवधान)

श्री मंगनी लाल मंडल : मैं यादव नहीं हूं, मैं क्या हूं...(व्यवधान)

श्रीमती भावना पाटील गवली : मैं अपने विषय पर आना चाहती हूं। यहां जो चर्चा चल रही है, इसमें हमारी बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। इसमें बहुत सारे मुद्दे यहां सामने आये हैं कि गरीबी हम कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि जब तक हमारी मंशा नहीं होगी,

18.00 hrs.

जब तक हम संसद में बैठे हुये सभी सांसदों और सरकार की मंशा नहीं होगी तब तक हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर नही उठा सकते हैं। मैं इस के लिये दो-तीन सुझाव रखना चाहती हूं।

सभापति महोदय, यहां युवकों, महिलाओं और उनके सल्फ हैल्प ग्रुप के बारे में विषय रखा गया है। जो हमारी योजनायें चल रही हैं, जब तक उनमें महिलाओं के पास पैसा नहीं जायेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। जो सैल्फ हैल्प ग्रुप की महिलायें बैंक जाती हैं तो उन्हें वहां कोई रैस्पांस नहीं मिलता है। मैं समझती हूं कि गरीबी खत्म करने के लिये पंक्ति के अंतिम आदमी के पास जाना चाहिये जिन्हें इस योजना की आवश्यकता है। इस योजना के कारण ही वह आगे बढ़ सकेंगी। इस योजना से उनकी उन्नति और प्रगति होगी। जब हम अपने क्षेत्र में जातें हैं ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shrimati Bhavana Patil Gawali, you can resume your seat now. You will be allowed to speak next time.

Now, Zero Hour. Shri Hassan Khan.